



GENERAL STUDIES HINDI

www.gshindi.com

Presents PIB-
Magazine: January

Other products :

The HINDU Analysis
English Classes



8800141518



facebook.com/gsforsindi

WWW.GSHINDI.COM

- Road Map to Mussoorie – एक ऐसी रणनीति जिससे UPSC- Pre ही नहीं mains भी पास करे 6 महीनो में
- Daily Mains Answer Writing–सीखे उत्तर लिखने की विधि जो मुख्य परिक्षा में आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है
- Monthly Magazine–पूरे महीने की समसामयिक एक साथ
- Current Affairs – दिन प्रतिदिन घटनाओं का विश्लेषण
- RSTV/LSTV–विशेषज्ञों के वाद विवाद का सार
- PIB + AIR–अत्यंत महत्वपूर्ण
- Online Test (12 tests for Rs. 1500)–अपनी तैयारी को गुणवत्तापूर्ण टेस्ट्स द्वारा जाचें, ताकि आपका चयन सुनिश्चित हो सके.



8800141518



[facebook/gshindi](https://www.facebook.com/gshindi)



GENERAL STUDIES HINDI

GS PAPER I

1. दत्तक ग्रहण विनियमन देश में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को और अधिक मजबूत बनाएगा

किशोर न्याय अधिनियम (बच्चों की देखभाल और संरक्षण), 2015 की धारा 68 (सी के तहत अधिदेशित (केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण) (सीएआरए द्वारा तैयार किया गया दत्तक (ग्रहण विनियमन, 2017 को अधिसूचित कर दिया गया है और ये विनियमन 16 जनवरी, 2017 से प्रभावी होंगे। दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 दत्तक ग्रहण दिशा निर्देश की जगह लेंगे।

- दत्तक ग्रहण विनियमन की रूप रेखा दत्तक ग्रहण एजेंसियों और भावी दत्तक माता पिता (पीएपी) सहित सीएआरए और अन्य हितधारकों के सामने आ रहे मुद्दों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनायी गयी है।
- यह भविष्य में गोद लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के द्वारा देश में गोद लेने के कार्यक्रम को और मजबूत बनाएगा। पारदर्शिता, बच्चों के प्रारंभिक विसंस्थागतकरण, माता पिता के लिए-सुविज्ञ विकल्प, नैतिक प्रथाओं और गोद लेने की प्रक्रिया में सख्ती से परिभाषित समयसीमा दत्तक ग्रहण विनियमन के प्रमुख पहलू हैं।

दत्तक ग्रहण के विनियमन 2017 की मुख्य विशेषताएं - :

(क विनियमनों में देश के भीतर और विदेशों में रिश्तेदारों द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया से संबंधित प्रक्रियाओं को परिभाषित किया गया है।

(ख गृह अध्ययन रिपोर्ट की वैधता दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है। (ग निर्दिष्ट बच्चे को आरक्षित करने के बाद मिलान और स्वीकृति के लिए घरेलू पीएपी को उपलब्ध (समयसीमा को वर्तमान पंद्रह दिनों से बढ़ाकर बीस दिन कर दिया गया है। (घ के पास व्यावसायिक रूप से योग्य या प्रशिक्षित सामाजिक (डीसीपीयू) जिला बाल संरक्षण इकाई (कार्यकर्ताओं का एक पैनल होगा।

(ई न्यायालय में दायर किए जाने वाले मॉडल दत्तक ग्रहण आवेदनों समेत विनियमनों से संलग्न (32 अनुसूचियां हैं और यह न्यायालय के आदेश प्राप्त करने में वर्तमान में लगने वाली देरी में काफी हद तक कमी लाएंगी।

2. महानदी और इसकी सहायक नदियों पर विचार-विमर्श समिति का गठन

- जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने महानदी और इसकी सहायक नदियों के जल की उपलब्धता एवं उपयोग का आकलन करने के लिए एक विचार-विमर्श समिति गठित की है।
- महानदी बेसिन के जल के उपयोग के संबंध में आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत ओडिशा राज्य की शिकायत के संदर्भ में यह समिति गठित की गई है।
- समिति महानदी से संबंधित मौजूदा जल बंटवारा समझौतों पर भी गौर करेगी और इन नदियों के जल की उपलब्धता एवं उपयोग के संबंध में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के दावों पर विचार करेगी।
- केंद्रीय जल आयोग के सदस्य) डब्ल्यूपीएंडपी (इस समिति की अध्यक्षता करेंगे और इसमें 11 अन्य सदस्य होंगे। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं झारखंड राज्यों और केंद्रीय कृषि मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, भारतीय मौसम विभाग और केंद्रीय जल आयोग के प्रतिनिधिगण भी इन सदस्यों में शामिल हैं।

- समिति से अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर पेश करने को कहा गया है।

2. अधिक संरक्षण और वर्धित जल उपयोग क्षमता पर बल देने के साथ समेकित दृष्टिकोण अपनाना होगा-

अनुसंधान कार्यक्रमों में किसानों के हितों को सर्वोच्च स्थान पर रहते हुए संसाधन उपयोग कुशलता को अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की जरूरत है।

जल, कृषि के लिए अन्य महत्वपूर्ण आदानों जैसे मृदा से भी अधिक महत्वपूर्ण संसाधन है और कृषि और गैर कृषि प्रयोजनों के लिए जल के अधिक प्रयोग, अकुशल सिंचाई पद्धति, कीटनाशकों के अनुचित उपयोग, खराब संरक्षण अवसंरचना तथा अभिशासन के अभाव ने पूरे विश्व में जल की कमी और प्रदूषण पर प्रभाव डाला है।

असमान जल वितरण भारत में :

भारत के विस्तृत क्षेत्र में जल संसाधनों का वितरण असमान है। अतः जल-ज्यों ज्यों आय बढ़ती है त्यों : की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया की यदि प्रति व्यक्ति 1700 वर्ष जल उपलब्धता/घन मीटर, और घनमीटर से कम हो जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार देश को जल के 1000 दबाव एवं विरल जल वाले क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। श्री सिंह ने जानकारी दी की घनमीटर 1544 प्रति व्यक्ति वर्ष जल उपलब्धता के साथ भारत पहले से ही जल के दबाव वाला देश है और जल विरल/वाले क्षेत्र में यह परिवर्तित हो रहा है।

क्या आवश्यक

सिंचाई हेतु जल के कुशल उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि जल को उचित समय और पर्याप्त मात्रा में फसल में उपयोग किया जाए और मुख्य कार्य होगा

- सिंचित क्षेत्रों में उपयोगित जल संसाधनों के कुशल उपयोग द्वारा कम जल से अधिक उत्पादन करना।
- पारिस्थितिक प्रणाली अर्थात् वर्षा सिंचित और जलमग्न क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाना।
- सतत ढंग से कृषि उत्पादन हेतु ग्रे जल के भाग का उपयोग करना।

अधिकतर सिंचाई परियोजनाएं प्रतिशत से भी अधिक की प्राप्त करने योग्य क्षमता से नीचे के स्तरों 50 पर चल रही हैं और सिंचाई प्रणाली की उत्पादकता और कुशलता में सुधार करने की भावी संभावना है जिसे प्रौद्योगिकीय और सामाजिक हस्तक्षेपों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। श्री सिंह ने कहा की यह अनुमान लगाया गया है कि सिंचाई परियोजनाओं में कुशलता के वर्तमान स्तर पर प्रतिशत वृद्धि 10 हमें : मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी। अतः 14 करने से विद्यमान सिंचाई क्षमता से अतिरिक्त अधिक संरक्षण और वर्धित जल उपयोग क्षमता पर बल देने के साथ समेकित दृष्टिकोण अपनाना होगा।

GS PAPER II

1. संसदीय समिति की राय, प्रधान न्यायाधीश का कार्यकाल हो तय

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में विलंब के लिये लगातार कार्यपालिका को जिम्मेदार ठहराने और उस पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने के लग रहे आरोपों के बीच एक

संसदीय समिति ने देश के प्रधान न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल एक साल से अधिक समय का निर्धारित करने की सिफारिश की है।

- संसदीय समिति ने प्रधान न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का तय कार्यकाल नहीं होने की वजह से न्यायिक सुधारों में आ रही दिक्कतों पर विस्तार से गौर करने के बाद इस बारे में सुझाव दिया है।
- समिति ने न्यायिक सुधारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के बाद यह महसूस किया कि प्रधान न्यायाधीश का तय कार्यकाल होना चाहिए ताकि वह न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में निर्णय ले सकें क्योंकि वह कॉलेजियम के प्रमुख होते हैं।
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर व्यक्त की जा रही आशंकाओं के संदर्भ में संसदीय समिति ने कहा है, 'यदि न्यायिक स्वतंत्रता संविधान का बुनियादी ढांचा है तो संसदीय लोकतंत्र संविधान का ज्यादा बड़ा बुनियादी ढांचा है और न्यायपालिका संसद के अधिकारों को छीन नहीं सकती है।
- कार्मिक, लोक शिकायत और विधि एवं न्याय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश अपनी रिपोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायालयों में लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या, उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने जैसे अनेक बिन्दुओं पर विचार किया है।
- संसदीय समिति ने हालांकि अपनी रिपोर्ट में प्रधान न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के लिये कोई न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित करने की सिफारिश नहीं की है लेकिन ऐसा लगता है कि वह चाहती है कि इस पद पर आसीन न्यायाधीश को अपना कार्य करने के लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
- संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, 'पिछले 20 सालों में उच्चतम न्यायालय में 17 प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किये गये और इनमें से केवल तीन का कार्यकाल दो वर्ष से अधिक था। इनमें से कई न्यायाधीशों का कार्यकाल एक वर्ष से भी कम था। भारत के एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस .राजेन्द्र बाबू (का कार्यकाल एक माह से भी कम का था।'
- इसके विपरीत, इस अवधि में प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एस .राजेन्द्र बाबू का कार्यकाल एक महीने से भी कम यानी दो मई 2004 से 31 मई 2004 तक ही था। न्यायमूर्ति राजेन्द्र बाबू से पहले 1991 में देश के प्रधान न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति के .एन .सिंह का कार्यकाल सिर्फ 17 दिन और न्यायमूर्ति जी .बी .पटनायक का कार्यकाल सिर्फ 40 दिन का ही था। न्यायमूर्ति के .एन .सिंह 25 नवंबर, 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक और न्यायमूर्ति पटनायक 8 नवंबर, 2002 से 18 दिसंबर, 2002 तक इस पद पर थे।
- समिति का यह विचार पूर्णतया तर्कसंगत है कि प्रधान न्यायाधीश का अल्प कार्यकाल होने की वजह से उन्हें कोई बड़ा सुधार) न्यायिक (या दीर्घकालीन निर्णय लेने के लिये पर्याप्त समय नहीं मिलता है। समिति की इस सिफारिश पर अब सरकार को ही विचार करके निर्णय लेना है।
- समिति का मानना है, 'प्रधान न्यायाधीश को बार- बार बदले जाने की वजह से कोई भी महत्वपूर्ण न्यायिक सुधार, जिनके लिये उनका लंबे समय तक बना रहना आवश्यक होता है, संभव प्रतीत नहीं होता है।
- समिति का मत है कि संसद को न्यायपालिका में नियुक्ति हेतु प्रक्रियागत कानून लाना चाहिए क्योंकि प्रक्रियागत कानून के अभाव ने न्यायपालिका को कार्यकारी कृत्य में हस्तक्षेप के लिये जगह प्रदान कर दी है।
- समिति चाहती है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के (स्थानांतरण और तैनाती प्रणाली को भी संविधान में संशोधन कर प्रवर्तित किया जाये
- उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून और इससे संबंधित संविधान संशोधन पहले ही निरस्त कर चुकी है। इसके बावजूद न्यायाधीशों की

नियुक्तियों और न्यायालयों में लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या के संदर्भ में समिति की राय है कि संसद को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया और इसके मापदंड को सहज बनाया जा सके। समिति का स्पष्ट मत है, ' न्यायपालिका में बढ़ी संख्या में रिक्तियों के लिये नियुक्तियों की वर्तमान प्रणाली जिम्मेदार है। उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को लेकर बार-बार उठाये जा रहे सवालों पर यही जवाब पर्याप्त लगता है कि 25 साल में पहली बार उच्च न्यायालयों के लिये एक साल (2016) में सर्वाधिक 126 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गयी जो एक रिकार्ड है। देश के 24 उच्च न्यायालयों के लिये न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 1079 है और अभी भी इनमें चार सौ से अधिक पद रिक्त हैं।

- **Phenomena of Uncle judges:** उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों के चयन में भाई-भतीजावाद के आरोप समय-समय पर लगते रहे हैं। समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में इसे दोहराते हुये कहा है, " हमारे पास ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं जहां तीन पीढ़ियों से लोगों की नियुक्ति न्यायपालिका में हो रही है। जिला और उच्च न्यायालय में ऐसे मेधावी लोग हैं जिन्हें न्यायपालिका में पहुंचने का कभी अवसर नहीं मिलता है
- चूंकि संविधान पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून निरस्त करने के अपने फैसले में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव का जिक्र करते हुये इसके प्रक्रिया ज्ञापन में सुधार पर जोर दिया था, इसलिए लंबे समय से अपेक्षा की जा रही है कि केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किये गये प्रक्रिया ज्ञापन, जो अगस्त महीने से प्रधान न्यायाधीश के समक्ष है, को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जायेगा।

उम्मीद की जानी चाहिए कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया से संबंधित इस प्रक्रिया ज्ञापन को सर्वसम्मति से अंतिम रूप दिये जाने के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अपेक्षित गति मिल सकती है।

2. संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति - भारत और श्रीलंका

- भारत और श्रीलंका के बीच आज कोलंबो में मछुआरों के मुद्दों पर मंत्रिस्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया।
- ये वार्ता 31 दिसंबर, 2016 को नई दिल्ली में मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्य समूह की प्रथम बैठक के बाद आयोजित की गई। संयुक्त कार्य समूह का गठन 5 नवंबर, 2016 को नई दिल्ली में हुई मंत्रिस्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था।
- इसमें मछुआरों के मुद्दों पर एक स्थाई समाधान तलाशने में सहायता के लिए संभव तंत्र पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
- दोनों पक्षों ने संबंधित कानूनी और प्रक्रियागत औपचारिकताओं के पूरे होने पर एक-दूसरे की हिरासत में लिए गए मछुआरों की रिहाई और उन्हें सौंपे जाने के लिए एक निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया पर सहमति जताई। मंत्रिस्तरीय वार्ता के बाद वर्तमान हिरासत में मछुआरों की तत्काल रिहाई की घोषणा की गई।
- भारत और श्रीलंका के तट गाड़ों के हॉट लाइन के परिचालन हेतु जेडब्ल्यूजी के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की हिरासत में ली गई मछली पकड़ने वाली नौकाओं को छोड़ने की मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया। भारत की ओर से भारतीय नौकाओं को शीघ्र छोड़ने का अनुरोध भी किया गया।

3. चेन्नई, अहमदाबाद और वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने में सहायता करेगा जापान

- जापान ने स्मार्ट सिटी के रूप में चेन्नई, अहमदाबाद और वाराणसी के विकास कार्यों से जुड़ने का निर्णय लिया है।
- अब तक कई प्रमुख देश 15 स्मार्ट शहरों के विकास से जुड़ने के लिए आगे आ चुके हैं।
- इनमें ये शामिल हैं--:

अमेरिकी व्यापार विकास एजेंसी) यूएसटीडीए -(विशाखापत्तनम, अजमेर एवं इलाहाबाद ।

ब्रिटेन -पुणे, अमरावती) आंध्र प्रदेश (एवं इंदौर।

फ्रांस -चंडीगढ़, पुडुचेरी एवं नागपुर और जर्मनी - भुवनेश्वर, कोयंबटूर एवं कोच्चि।

What is smart city:

स्मार्ट सिटी उनकी सबसे अहम जरूरतों एवं जीवन में सुधार करने के लिए सबसे बड़े अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। बदलाव के लिए दृष्टिकोण की श्रृंखला अपनाई जाती है - डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी, शहरी योजनाओं की सर्वोत्तम प्रथाओं, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, और नीति में बदलाव। हमेशा लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।

- स्मार्ट सिटी मिशन के दृष्टिकोण में, उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देने का है जो मूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएँ और अपने नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करे, एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण एवं 'स्मार्ट' समाधानों के प्रयोग का मौका दें।
- विशेष ध्यान टिकाऊ और समावेशी विकास पर है और एक रेप्लिकेबल मॉडल बनाने के लिए है जो ऐसे अन्य इच्छुक शहरों के लिए प्रकाश पुंज का काम करेगा।
- स्मार्ट सिटी मिशन ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए है जिसे स्मार्ट सिटी के भीतर और बाहर दोहराया जा सके, विभिन्न क्षेत्रों और देश के हिस्सों में भी इसी तरह के स्मार्ट सिटी के सृजन को उत्प्रेरित किया जा सके।

Core element of smart city concept:

- पर्याप्त पानी की आपूर्ति
- निश्चित विद्युत आपूर्ति
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता
- कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन
- किफायती आवास, विशेष रूप से गरीबों के लिए
- सुदृढ़ आई टी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण
- सुशासन, विशेष रूप से ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी
- टिकाऊ पर्यावरण
- नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों की सुरक्षा, और
- स्वास्थ्य और शिक्षा

4. भारत और कजाखस्तान ने दोहरा कराधान निवारण संधि) डीटीएसी (में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए

- भारत और कजाखस्तान ने दोनों देशों के बीच मौजूदा दोहरा कराधान निवारण संधि) डीटीएसी (में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिस पर इससे पहले 9 दिसंबर, 1996 को दस्तखत किए गए थे।

- आय पर लगने वाले करों के संदर्भ में दोहरे कराधान को टालने और वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के उद्देश्य से इस पर हस्ताक्षर किए गए थे।

उपर्युक्त प्रोटोकॉल की विशेष बातें निम्नलिखित हैं:-

1. प्रोटोकॉल में कर संबंधी मसलों की जानकारी के कारगर आदान-प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य मानकों का उल्लेख है। इसके अलावा, कर संबंधी उद्देश्यों से कजाखस्तान से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को कजाखस्तान के सक्षम प्राधिकरण की अधिकृत अनुमति से अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों से साझा किया जा सकता है। इसी तरह कर संबंधी उद्देश्यों से भारत से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को भारत के सक्षम प्राधिकरण की अधिकृत अनुमति से अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों से साझा किया जा सकता है।
2. प्रोटोकॉल में 'लाभ की सीमा' से जुड़ा अनुच्छेद है, ताकि डीटीएसी का दुरुपयोग रोका जा सके और इसके साथ ही कर अदायगी से बचने अथवा इसकी चोरी के विरुद्ध बनाए गए घरेलू कानून और संबंधित उपायों को लागू किए जाने की अनुमति दी जा सके।
3. ट्रांसफर प्राइसिंग मामलों में आर्थिक दोहरे कराधान से राहत देने के उद्देश्य से भी इस प्रोटोकॉल में कुछ अन्य विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। यह करदाताओं के अनुकूल कदम है।
4. प्रोटोकॉल में एक तय सीमा के साथ सर्विस संबंधी पीई) स्थायी प्रतिष्ठान (के लिए भी प्रावधान हैं। इसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि पीई के खाते में जाने वाले लाभ का निर्धारण संबंधित उद्यम के कुल लाभ के संविभाजन के आधार पर किया जाएगा।

5. 14वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन "प्रवासी भारतीयों के साथ पुनर्परिभाषित संबंध" विषय पर कर्नाटक के साथ साझेदारी में बेंगलुरु में

- प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन नई दिल्ली में जनवरी 2003 में किया गया था।
- अब तक प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनों के 13 संस्करणों का आयोजन हो चुका है।
- इनमें से पिछले का आयोजन दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की वापसी की 100वीं वर्षगांठ के साथ जनवरी, 2015 में गुजरात के गांधी नगर में किया गया था।
- प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन आमतौर पर दिल्ली से बाहर के शहरों में उन राज्यों की साझेदारी के साथ किया जाता है जिनमें दिल्ली से बाहर प्रवासी भारतीयों की बड़ी जनसंख्या है।
- प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनों में पारंपरिक रूप से बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों की भागीदारी देखी जाती है, हालांकि यह सम्मेलन बिना किसी महत्वपूर्ण परिणामों के एक पुनरावृत्तीय सम्मेलन बन गया था इसलिए इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस के प्रारूप को नया रूप दिया गया है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय किया है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन दो वर्ष में एक बार किया जायेगा।
- 14वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन "प्रवासी भारतीयों के साथ पुनर्परिभाषित संबंध" विषय पर कर्नाटक के साथ साझेदारी में बेंगलुरु में 7 से 9 जनवरी 2017 को आयोजित होगा।

प्रवासी भारतीय :

वर्तमान में लगभग 3.12 करोड़ अर्थात करीब 31.2 मिलियन प्रवासी भारतीय समूचे विश्व में बसे हुए हैं जिनमें से 1.34 करोड़ अर्थात 13.4 मिलियन व्यक्ति भारतीय मूल के हैं और 1.78 करोड़ अर्थात 17.8 मिलियन अनिवासी भारतीय हैं।

6. भारत और मॉरीशस ने सहकारी एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

- भारत ने कृषि उद्योग, मत्स्यपालन और डेयरी के क्षेत्रमें मॉरीशस के साथ अपनी विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान का प्रस्ताव दिया-
- समझौता दोनों ही देशों को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने में मदद करेगा जिससे हजारों मॉरीशसवासियों को लाभ पहुंच सकता है।
- भारत ने कृषि उद्योग, मत्स्यपालन और डेयरी के क्षेत्रमें मॉरीशस के साथ अपनी विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान का प्रस्ताव दिया-

7. हिंद महासागर रिम संघ (आईओआरए) के सदस्य देशों के बीच एमएसएमई संबंधी सहयोग पर कार्यशाला

एमएसएमई सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमसंबंधी सहयोग (को बढ़ाने हेतु आईओ आरए- के सदस्य देशों की कार्यशाला का आयोजन।

- इस कार्यशाला से आईओआरए के सदस्य देशों के बीच विचारों, चिंताओं एवं अनुभवों के आदान-प्रदान में आसानी होगी और इससे एमएसएमई क्षेत्र को लेकर इस क्षेत्र में उभरती चिंताओं को दूर करने के लिए एक साझा एमओयू विकसित करने में मदद मिलेगी।।
- एमएसएमई मंत्रालय के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम भारतीय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग के लिए कई देशों के अपने समकक्ष संगठनों के साथ 34 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एमएसएमई किस तरह से और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करके गरीबी कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं इस पर विस्तृत चर्चा हुई।

What is IORA?

- Indian Ocean Rim Association (IORA)– जो हिंद महासागर की परिधि में आने वाले देशों की एक क्षेत्रीय सहयोग पहल है, की स्थापना मार्च 1997 में मॉरीशस में आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई।
- यह एक मात्र अखिल हिंद महासागर समूह है।
- यह भिन्नभिन्न आकार-, आर्थिक मजबूती तथा भाषा एवं संस्कृति में व्यापक विविधता वाले तीन महाद्वीपों के देशों को एक मंच पर लाता है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर के परिधि क्षेत्र में, जहाँ तकरीबन दो बिलियन आबादी पाई जाती है, व्यापार, सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक – सहयोग के लिए एक मंच का सृजन करना है। हिंद महासागर का परिधि क्षेत्र सामरिक एवं बहुमूल्य खनिजों, धातुओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों, समुद्री संसाधनों एवं ऊर्जा की दृष्टि से समृद्ध है तथा इन सबको अनन्य आर्थिक क्षेत्रों (ई ई जेड), महाद्वीपीय शेल्फ एवं गहन सीबेड से प्राप्त किया जा सकता है।।

इस समय इसके 21 सदस्य हैं आस्ट्रेलिया -, बांग्लादेश, कोमोरोस ,भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मलेशिया, मेडागास्कर, मॉरीशस, मोजांबिक, ओमान, सेशल्स , सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाइलैंड, संयुक्त अरब अमीरात,सोमालिया एवं यमन। पांच वार्ता साझेदार हैं अर्थात चीन, मिस्र, फ्रांस, जापान और यूके तथा दो प्रेक्षक हैं अर्थात हिंद महासागर अनुसंधान समूह और (आई ओ आर जी) (आई ओ टीओ) हिंद महासागर पर्यटन संगठन,ओमान।

7. नमामि गंगे कार्यक्रम में सहयोग करेगा कॉर्पोरेट जगत

गंगा नदी को निर्मल और अविरल बनाने की महत्वाकांक्षी योजना " नमामि गंगे" को सफल बनाने के लिए कॉर्पोरेट जगत ने सहयोग देने की इच्छा जाहिर की है। विभिन्न कंपनियों ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी) सीएसआर (के तहत इसमें सहयोग देने की बात कही है।

who is Participation in workshop ? :- ओएनजीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, बीएचईएल, गेल इंडिया लिमिटेड, सेल, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड सहित महारत्न, नवरत्न एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों ने कार्यशाला में सक्रिय भागीदारी की। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों जैसे: भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूको बैंक समेत करीब 20 बैंकों ने भी नमामि गंगे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में भागीदारी की और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से विचारों का आदान-प्रदान किया। आदित्य बिड़ला समूह की जेएसडब्ल्यू एवं टाटा संस जैसी कॉर्पोरेट जगत की कंपनियों ने भी इस कार्यशाला में सक्रिय भागीदारी की और अपने विचार साझा किए।

कार्यशाला में उपस्थित विभिन्न कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं बैंकों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न सत्रों में अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत गंगा बेसिन सभी पांच राज्यों में जारी नमामि गंगे गतिविधियों में योगदान करने के प्रति अपनी इच्छा जाहिर की।

- कोल इंडिया लिमिटेड के एक प्रतिनिधि ने कहा कि, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के अंतर्गत उसने पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले फूलों से खाद बनाने की दिशा में एक प्रणाली विकसित की है।
- गेल और भेल के द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत की जा रही विभिन्न कार्यक्रमों को भी इस कार्यशाला के दौरान साझा किया गया और यह विश्वास जताया गया कि उनके द्वारा किए जा रहे ये प्रयास नमामि गंगे कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में भी उपयोगी साबित होंगे।

क्या है नमामि गंगे

- गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए
- नमामि गंगे के तहत नदी के प्रदूषण को कम करने पर पूरा जोर होगा। इसमें प्रदूषण को रोकने और नालियों से बहने वाले कचरे के शोधन और उसे नदी से दूसरी ओर मोड़ने जैसे कदम उठाए जाएंगे। कचरा और सीवेज परिशोधन के लिए नई तकनीक की व्यवस्था की जाएगी।

8. स्वच्छ भारत मिशन :आगे की राह

महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में बिताए वर्षों में दो घटनाएं साफ तौर पर प्रभावित करती हैं।

- पहली, वह नस्लीय भेदभाव जिसका उन्हें ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सामना करना पड़ा, जब उन्हें एक असभ्य यूरोपियन नागरिक द्वारा उनके सवालियों से तंग आकर पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था।
- दूसरी घटना साफ-सफाई और स्वच्छता से संबंधित है। जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के गरीब काले पुरुषों को दूसरों के शौचालय की सफाई और उनके मलमूत्र को सिर पर बाल्टी में ले जाते देखा तो उन्हें आंतरिक दुःख हुआ। इस छोटी सी घटना ने उनकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। इसी दिन गांधी जी ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने शौचालय की सफाई खुद करेंगे। उन्होंने अपने व्रत को मन में दोहराते हुए प्रतिज्ञा की, " यदि हम अपने शरीर को खुद साफ नहीं रख सकते तो हमें अपने स्वराज से बेईमानी एक दुर्गंध की तरह होगा। " मैला ढोना की प्रथा के विरोध पर- बेजवाड़ा विल्सन को प्रतिष्ठित रमन - मैग्सेसे पुरस्कार - 2016)

गांधी जी के इन्हीं साफ-सफाई से संबंधित आदर्शों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को " **स्वच्छ भारत मिशन** " की शुरुआत करने के लिए चुना

यह मिशन, जो केंद्र सरकार के विशालतम स्वच्छता कार्यक्रम का हिस्सा है, को शहरी तथा ग्रामीण घटकों में विभाजित किया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना है।।

निति के बारे जानने योग्य तथ्य

- स्वच्छ भारत मिशन) शहरी (की कमान शहरी विकास मंत्रालय को दी गई है और 4041 वैधानिक कस्बों में रहने वाले 377 लाख व्यक्तियों तक स्वच्छता हेतु घर में शौचालय की सुविधा प्रदान करने का काम सौंपा गया है।
- इसमें पांच वर्षों में करीब 62009 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है जिसमें केन्द्र सरकार 14623 करोड़ रुपये की राशि सहायता के तौर पर उपलब्ध करायेगी।
- इस मिशन के अंतर्गत 1.04 करोड़ घरों को लाना है जिसके तहत 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय सीटें उपलब्ध कराना, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय सीटें उपलब्ध कराना तथा सभी शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा मुहैया करना है।।
- इस मिशन के 6 प्रमुख घटक हैं----:
 1. व्यक्तिगत घरेलू शौचालय ;
 2. सामुदायिक शौचालय;
 3. सार्वजनिक शौचालय ;
 4. नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन;
 5. सूचना और शिक्षित संचार) आईईसी (और सार्वजनिक जागरूकता;
 6. क्षमता निर्माण।

शहरी मिशन के तहत खुले में शौच को समाप्त करना; अस्वास्थ्यकर शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तित करना; और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा का विकास करना है। इस मिशन के तहत लोगों को खुले में शौच के हानिकारक प्रभावों, बिखरे कचरे से पर्यावरण को होने वाले खतरों आदि के बारे में शिक्षित कर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने पर विशेष जोर दिया जाता है। इन उद्देश्यों को पूरा करने में शहरी स्थानीय निकायों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है तथा साथ ही इसमें निजी क्षेत्र की भी भागीदारी ली जा सकती है।

ग्रामीण मिशन, जिसे स्वच्छ भारत ग्रामीण के नाम से जाना जाता है, का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से ग्राम पंचायतों को मुक्त करना है। इस मिशन की सफलता के लिए गांवों में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी से क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना भी है।

गांव के स्कूलों में गन्दगी और मैली की स्थिति को देखते हुए, इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों में बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं के साथ शौचालयों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जाता है।

सभी ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी शौचालय और ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन इस मिशन की प्रमुख विषय-वस्तु है। नोडल एजेंसियां ग्राम पंचायत और घरेलू स्तर पर शौचालय के निर्माण और उपयोग की निगरानी करेंगी। ग्रामीण मिशन के तहत 134000 करोड़ रुपये की लागत से 11.11 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है।

व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के प्रावधान के तहत, बीपीएल और एपीएल वर्ग के ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक शौचालय के लिए क्रमशः 9000 रुपये और 3000 रुपये का प्रोत्साहन-निर्माण और उपयोग के बाद -दिया जाता है। उत्तर-पूर्व के राज्यों, जम्मू-कश्मीर तथा विशेष श्रेणी के क्षेत्रों के लिए यह प्रोत्साहन राशि क्रमशः 10800 रुपये और 1200 रुपये है।

कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है, परिणाम उम्मीद से अधिक हैं।

- आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2014-15 में 5854987 शौचालयों का निर्माण किया गया जबकि लक्ष्य 50 लाख शौचालयों का ही था।
- इसमें लक्ष्य के 117 प्रतिशत तक सफलता हासिल हुआ है। 2015-16 में 127.41 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है जो लक्ष्य 120 लाख से ज्यादा है। 2016-17 में लक्ष्य 1.5 करोड़ रखा गया और इसमें 1 अगस्त 2016 तक 3319451 शौचालयों का निर्माण पूरा कर लिया गया है तथा बाकी के लिए भी तेजी से काम चल रहा है।
- ग्रामीण मिशन के तहत 1 अक्टूबर 2014 से 1 अगस्त 2016 तक 210.09 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसी अवधि में स्वच्छता का दायरा 42.05 प्रतिशत से बढ़कर 53.60 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

9. राष्ट्रीय मतदाता दिवसलोकतंत्र के लिए मजबूत प्रतिबद्धता :

Objective of National Voters Day*:-

- राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नए मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रयासों के बीच एक महत्वपूर्ण कदम है
- 7वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया।

कब से मनाया जाता है :

- भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की याद में 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी।
- 25 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया था। लेकिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इतिहास को याद करने के बजाय हमें आगे की राह के बारे में तय करना होगा।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस की घोषणा मतदाताओं की संख्या मूलतः जो हाल में ही :18 वर्ष की आयु सीमा पूरी की है, को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी।

- संविधान)61वां संशोधन(अधिनियम, 1988 के तहत लम्बे समय से चली आ रही जनता की मांग को पूरा करने के लिए मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी।
- इसके बाद नवंबर 1989 में संपन्न हुए 10 वें आम चुनाव में 18 वर्ष से 21 वर्ष के आयु वर्ग के 35.7 मिलियन)3.5 करोड़ मतदाताओं ने पहली बार मतदान में हिस्सा लिया (था।

How to increase voting percentage* :----

- लेकिन मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ था।
- पिछले दो दशकों में उत्साहजनक परिणाम नहीं प्राप्त हुए।
- योग्य युवा मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की रफ्तार काफी ठंडी रही।
- कुछ मामलों में तो यह करीब 20 से 25 प्रतिशत ही रहा।
- मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना अनिवार्य नहीं सिर्फ स्वैच्छिक है जिसके कारण चुनाव आयोग सिर्फ लोगों को मतदान के लिए जागरूक ही कर सकता है। लेकिन चुनाव आयोग की प्राथमिकता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। यह अपने आप में एक लंबा और चुनौतीपूर्ण काम है।

क्या है मानसिकता

- जबतक मतदाता चुनाव को एक कार्यक्रम के रूप में देखेगा तबतक यह आयोग के लिए एक लंबी प्रक्रिया ही बनी रहेगी।

चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग

- अधिसूचना जारी करने से लेकर परिणाम घोषित करने तक चुनाव की एक लंबी प्रक्रिया है। भारत जैसे विशाल एवं बड़ी आबादी वाले देश में चुनाव संपन्न कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। आयोग पर धनबल से निपटने की भी जिम्मेदारी होती है।।-बल और बाहु-
- मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए एक साफ सुथरी एवं त्रुटि मुक्त मतदाता सूची तैयार करना-जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 11 और 62 के अनुसार आयोग की प्राथमिकता में (शामिल होता है।
- मतदाताओं को लामबंद करने का काम चुनाव प्रचार कर विभिन्न राजनीतिक दलों पर छोड़ दिया गया था। सभी राजनीतिक दल स्वाभाविक रूप से मतदाताओं को लुभा कर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपने सबसे उत्तम प्रयास किया।लेकिन आयोग की भी एक दायित्व एवं लोकतंत्र के प्रति जिम्मेवारी बनती है कि वो मतदाताओं को जागरूक कर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करे।।
- क्या **वोटिंग बढ़ाने के लिए किसी प्रयास की जरूरत है या नहीं** : कुछ लोगों का यह मानना है कि साक्षरता में बढ़ोतरी होने से मतदान में स्वयं तेजी आ जायेगी। इस तरह की ढिलाई बरतने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पहले आम चुनाव)1951-52) में मतदान का प्रतिशत 51.15 था। इसे हम असंतोषजनक श्रेणी में नहीं रख सकते।उस समय साक्षरता करीब 17 प्रतिशत ही थी। हालांकि, जिस तरह से साक्षरता में वृद्धि हुई, उस अनुपात में मतदान में तेजी नहीं देखी गई है। 2009 के आम चुनाव में मतदान का प्रतिशत करीब 60 प्रतिशत ही रहा जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 74 प्रतिशत थी।।
- 2009 के बाद आयोग ने मतदान बढ़ाने के लिए एक अलग तरह की भूमिका की रूपरेखा तैयार की। इसके लिए निर्वाचन आयोग के एक व्यापक ' **SWEEP या व्यवस्थित मतदाता शिक्षा) (और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन** नामक कार्यक्रम तैयार किया।

- 'SWEEP के तहत निर्वाचन आयोग ने दो नारे तैयार किए पहला '-समावेशी और गुणात्मक भागीदारी।' किसी भी मतदाता को नहीं छोड़ा जा सकता' तथा दूसरा '
 - इस तरह पहली बार निर्वाचन आयोग ने के माध्यम से मतदाता जागरूकता ' स्वीप ' कार्यक्रम तैयार किया।
 - इसके अंतर्गत व्यक्तियों या संस्थाओं सहित सभी हितधारकों को लाया गया। इसके तहत मतदाता सूची में पंजीकरण एवं मतदान में भागीदारी के अंतर पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया।
 - इसमें लिंग, क्षेत्र, सामाजिक आर्थिक स्थिति-, स्वास्थ्य की स्थिति, शैक्षणिक स्तर, पेशेवर प्रवास, भाषा आदि पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया।
 - सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए वृहत रूपरेखा तैयार की गई।'
 - स्वीप प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक मतदाता ही मानता है। यहां तक कि अवयस्क ' लड़के एवं लड़कियों को भविष्य का मतदाता मानकर अभी से ही उसके अंदर मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, इसीलिए शिक्षा संस्थानों का भी उपयोग किया गया है।

65 प्रतिशत से थोड़ा कम मतदान भारत जैसे देश के लिए असाधारण नहीं हो सकता। फिर भी, राजनीतिक विश्लेषक इसे एक स्वस्थ प्रवृत्ति के रूप में नहीं देखते हैं। मतदान का उच्च प्रतिशत जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। जबकि मतदान का निम्न प्रतिशत राजनीतिक उदासीन समाज की ओर इशारा करता है। ऐसी स्थिति का फायदा विघटनकारी तत्व उठाना चाहते हैं और लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करना चाहते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र को अकेले एक भव्य विचार के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। यह लगातार मतपत्र में प्रतिबिंबित हो दिखाई पड़ते रहना चाहिए, यही लोकतंत्र की मजबूती है।

2014 में संपन्न 16 वें आम चुनाव में, मतदान का प्रतिशत अब तक सबसे ज्यादा 66.38 प्रतिशत रहा। अधिकांश टिप्पणीकारों ने इसके लिए राजनीतिक कारकों को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन कुछ श्रेय निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग के जागरूकता अभियान को भी दिया जाना चाहिए। इसका आने 'स्वीप' वाले चुनावों में भी परीक्षण किया जाना निश्चित है। तो अगली बार उच्च मतदान प्रतिशत का श्रेय न सिर्फ राजनीतिक कारकों बल्कि को भी मिलना चाहिए। इस तरह की व्याख्या अपने आप में 'स्वीप' जागरूकता अभियान में उत्प्रेरक की तरह कार्य कर सकती है।

10. बजट 1 फरवरी को पेश कर सरकार व्यय की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2016-17 के बजट में व्यय के मद में 20 लाख करोड़ रुपये के करीब खर्च करने का प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने कुल व्यय 22 लाख करोड़ रुपये और 23 लाख करोड़ रुपये के बीच रखा है। यह मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14 प्रतिशत है।

अतीत में बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को संसद में प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन इस बार वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली 1 फरवरी को पेश करेंगे। बिना किसी राजनीतिक बहस में गये, एक स्वतंत्र विश्लेषण द्वारा बजट प्रस्तुति को आगे बढ़ाने को रख सकते हैं जिसके फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि इससे सरकार को दो प्रमुख आयात उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

बजट पहले पेश करने के उद्देश्य--:

- सबसे पहला और महत्वपूर्ण लक्ष्य व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाना है और इस तरह से केन्द्रीय योजनाओं और परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में निश्चित रूप से बदलाव आयेगा जब इनके लिए आवंटित राशि को संसद से मंजूरी दिलाकर संबंधित विभागों या मंत्रालयों को समय से निर्गत कर दिया जायेगा। दूसरी उपलब्धि यह है कि सरकार जीडीपी में विकास के लिए किस तरह व्यय करती है ; 20 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा का सरकारी व्यय निवेश के पुनरुद्धार और उपभोक्ताओं की मांगों को बढ़ाने के लिए किए गये प्रयासों को दर्शाता है, साथ ही इससे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन में भी मदद मिली है।
- प्रचलित प्रणाली के अनुसार अब तक बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के दिन लोकसभा में पेश किया जाता था और जिससे नये वित्तीय वर्ष के पहले दिन 1 अप्रैल से संचित निधि से धन की निकासी के लिए लेखानुदान संसद से प्राप्त होता था।
- बजट सत्र को दो चरणों में संपन्न होता है पहले चरण में सरकार को निर्बाध गति से कामकाज : करने के लिए लेखानुदान प्राप्त किया जाता है जबकि बजट सत्र के दूसरे चरण मई में बजट को संसद से पूर्ण मान्यता मिलती है। जबकि वित्त मंत्री के बजट भाषण में कर और गैर कर-प्रस्तावों को बजट पेश करते समय ही सरकार की प्रमुख नीति तथा दशा एवं दिशा को दर्शाता है और बजट भाषण की समाप्ति के बाद इस पर बहस होती है। बहस के बाद ही बजट प्रस्तावों में सुधार की सिफारिश की जाती है
- लेकिन समय से पूर्व कम कम पहली तिमाही के लिए अंतिम परिव्यय उपलब्ध हो जाता है।-से-दूसरी तिमाही में संबंधित विभाग और मंत्रालय बजट में घोषित परियोजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने पर काम शुरू कर देते हैं जो सरकार के लिए प्रमुख होता है।
- सरकारी धन को निजी व्यवसाय की तरह खर्च नहीं किया जा सकता है। इसमें तय प्रक्रियाओं का अच्छी तरह पालन किया जाता है , संसदीय समितियों के अलावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस जैसी अन्य एजेंसियों जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा (सीएजी) समीक्षा की जाती है। नौकरशाहों को कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन में सावधानी बरतने के कारण थोड़ा विलम्ब होता है। निविदा जारी करने , सौदों को अंतिम रूप देने इत्यादि की पूरी प्रक्रिया में कुछ महीने लग सकते हैं जिससे ज्यादातर मामलों में संबंधित विभाग को ठेकेदार को आदेश निर्गत करने में तीसरी तिमाही के मध्य या अंत तक का समय लग जाता है। जिससे पैसा अंतिम तिमाही में या कभी कभी तो-31 मार्च तक ही व्यय हो पाता है।
- स्वाभाविक रूप से दबाव संबंधित ठेकेदार के साथ साथ विभाग या मंत्रालय पर भी आ जाता है-जिससे उस काम की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।
- इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने बजट को पहले पेश करने का मन बनाया और उसे इस वर्ष से मूर्त रूप भी देने जा रही है। सरकार के इस कार्य से बजट पर लोकसभा एवं राज्यसभा में चर्चा के लिए पर्याप्त समय भी मिलेगा तथा संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों को परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की शुरुआत करने में भी सुविधा होगी।
- इसमें सरकार की मंशा स्पष्ट है कि उसे कार्यों को शुरू करने से लेकर खत्म करने तक में समय की कमी नहीं होगी और सरकार भी उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेगी।
- इस तरह के प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिए। इससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था में सुधार दिखाई देगा बल्कि उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने एवं निवेश को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी तथा कई वरिष्ठ मंत्रियों को सरकार की अर्थव्यवस्था के बारे में समय से आकलन करने में मदद मिलेगी; जिससे 2017 में सड़कों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, शिपिंग, कृषि के बुनियादी ढांचे आदि जैसे क्षेत्रों में राज्य के व्यय में आर्थिक पुनरुद्धार के लिए नया रास्ता भी खुलेगा और जब एक बार स्थिति में गतिशीलता आ जायेगी तो निजी क्षेत्र में गुणात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और पूरे चक्र में एक परिवर्तन दिखाई देगा।

- बजट में ग्रामीण परिदृश्य पर और ध्यान देने की उम्मीद है ताकि आने वाले महीनों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सरकारी कार्यक्रम सकल घरेलू उत्पाद की गति में उत्प्रेरक साबित हों। इस तरह, पूरे बजट का सदुपयोग किया जा सकेगा और अंततः हम कह सकते हैं कि सरकार की मंशा सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाने की है।

11. राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना

आदिकाल से ही कौशल का स्थानांतरण प्रशिक्षुओं की परम्परा के माध्यम से होता आ रहा है। एक युवा प्रशिक्षु एक मास्टर दस्कार से कला सीखने की परम्परा के तहत काम करेगा, जबकि मास्टर दस्कार को बुनियादी सुविधाओं का प्रशिक्षु को प्रशिक्षण देने के बदले में श्रम का एक सस्ता साधन प्राप्त होगा। कौशल विकास की इस परम्परा के द्वारा नौकरी पर प्रशिक्षण देना समय की कसौटी पर खरा उतरा है और इससे दुनिया के अनेक देशों में कौशल विकास कार्यक्रमों को जगह मिली है।

- कौशल विकास की एक विधा के रूप में प्रशिक्षु के महत्वपूर्ण लाभ रहे हैं, जो उद्योग और प्रशिक्षु दोनों के लिए लाभदायक रहे हैं। इससे उद्योग के लिए तैयार कार्यबल का सृजन करने को बढ़ावा मिल रहा है।
- दुनिया के अनेक देशों ने प्रशिक्षुता मॉडल को लागू किया है। जापान में 10 मिलियन से अधिक प्रशिक्षु हैं, जबकि जर्मनी में तीन मिलियन, अमेरिका में 0.5 मिलियन प्रशिक्षु हैं, जबकि भारत जैसे विशाल देश में केवल 0.3 मिलियन प्रशिक्षु हैं। देश की भारी जनसंख्या और जनसांख्यिकीय लाभांश को देखते हुए देश में 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के तीन सौ मिलियन लोग मौजूद होने के बावजूद यह संख्या बहुत कम है।

भारत में इस और कदम

- देश के अनुकूल जनसांख्यिकी लाभांश की क्षमता का एहसास करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कौशल भारत अभियान और उसके बाद अलग से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का नवंबर, 2014 में गठन किया। इसका उद्देश्य भारत को दुनिया की कौशल राजधानी में परिवर्तित करना है। एक युवा और स्टार्ट अप मंत्रालय ने बहुत कम समय में नीति निर्माण- और प्रमुख कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत प्रमुख - रूप से की है और आईटीआई पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने के अलावा उद्यमशीलता विकास की नई योजनाओं की भी शुरुआत की है।
- इसी तरह मंत्रालय ने देश में प्रशिक्षु के मॉडल को अपनाने की भावना को बढ़ावा देने के लिए दो प्रमुख कदम उठाए हैं -
 - एक प्रशिक्षु अधिनियम 1961 में संशोधन और
 - प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना की जगह राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना की शुरुआत।

राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना:

- सरकार ने प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने और नियोक्ताओं को प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने की प्रेरणा देने के लिए 19 अगस्त, 2016 को राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना ने 19 अगस्त, 2016 को प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना (एपीवाई) का स्थान ले लिया है। एपीवाई वजीफे के रूप में केवल पहले दो साल के लिए सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि

का 50 प्रतिशत देता था। वहीं नई योजना में प्रशिक्षण और वजीफे के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं –

- निर्धारित वजीफे के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति जो नियोक्ता के लिए अधिकतम 1500 रुपये प्रति माह प्रति प्रशिक्षु होगी
- फ्रेशर प्रशिक्षु के संबंध में बुनियादी प्रशिक्षण की लागत को साझा किया जाना जो कि (बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के सीधे आए थे
- एनएपीएस को वर्ष 2020 तक प्रशिक्षुओं की संख्या 2.3 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने के महत्वाकांक्षी उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था।
- योजना, एप्रेंटाइसशिप चक्र की निगरानी और प्रभावी प्रशासन के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल ऑनलाइन पोर्टल (www.apprenticeship.gov.in) शुरू किया गया।
- पोर्टल पर नियुक्ति प्रक्रिया की सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। यहां पंजीकरण से लेकर रिक्तियों की संख्या, और प्रशिक्षु के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ऑफर लेटर स्वीकारने तक सभी जानकारियां उपलब्ध हैं।

11. राष्ट्रपति के अभिभाषण के कुछ प्रमुख अंश

- इस वर्ष हम **चंपारण सत्याग्रह** की शताब्दी मना रहे हैं, जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी थी और औपनिवेशिक ताकतों से लड़ने के लिए भारत की जनशक्ति को प्रेरित किया था। महात्मा गांधी के सत्याग्रहके आदर्शों ने प्रत्येक भारतीय के मन में अदम्य साहस, आत्मविश्वास और जनहित के लिए बलिदान की भावना भर दी। आज यही जनशक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है
- हमारे देशवासियों ने, विशेषकर गरीब तबके के लोगों ने, हाल ही में काले धन के विरुद्ध संघर्ष में असाधारण समुत्थान शक्ति और सहनशीलता का परिचय दिया है। रसोई गैस के मामले में **'Give it up'** अभियान की सफलता के पीछे भी यही प्रेरक भावना रही है। **1.2 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं ने रसोई गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ी है**, जिससे वंचित लोगों को रसोई गैस कनेक्शन मुहैया कराने में बहुत मदद हुई है। इसी 'जनशक्ति' ने स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन में बदल दिया है। 1.4 लाख गांवों, 450 से ज़्यादा शहरों, 77 जिलों तथा 3 राज्यों ने अपने क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है।
- गरीब और अब तक जिनको बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं ऐसे लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए, भारतीय **डाक भुगतान बैंक (इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक)** प्रारंभ किया गया है। भारत में डाक नेटवर्क बहुत व्यापक है, जिसमें डेढ़ लाख डाक घर गांव-गांव तक फैले हुए हैं। ये डाक घर पोस्टल बैंक के रूप में भी कार्य करेंगे। बैंकों द्वारा नियुक्त किए एक लाख से अधिक बैंक-मित्रों के साथ-साथ, ढाई लाख ग्राम-डाक-सेवक भी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे।
- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 2 लाख करोड़ रुपए के 5.6 करोड़ ऋण उपलब्ध** कराए गए हैं। इससे जरूरतमंद उद्यमियों को बिना कोई ऋणाधार बैंक से कर्जा मिल सकेगा जिससे छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना के तहत सत्तर प्रतिशत ऋण का लाभ महिला उद्यमियों ने उठाया है।
- **दीन दयाल अंत्योदय योजना** के अंतर्गत महिलाओं, विशेष रूप से वंचित समुदायों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चालू वित्त वर्ष में 'स्वयं सहायता समूहों' को सोलह हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में 5 करोड़ महिलाओं तक लाभ शीघ्र पहुंचाने का लक्ष्य है।

- साफ-सफाई न होने से गरीब घरों की आर्थिक स्थिति और कमजोर होती है। **स्वच्छ भारत अभियान** का उद्देश्य विशेष रूप से गरीबों की स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। इस मिशन में 3 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।
- **प्रधान मंत्री उज्वला योजना** से गरीबों को स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हो सकेगी। इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन—एल.पी.जी. उपलब्ध कराकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और उन्हें धुआं भरी रसोई के और ईंधन इकट्ठा करने में लगने वाले समय के दुष्परिणामों से बचाना है। 5 करोड़ गरीब घरों को गैस कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इनमें से 37 प्रतिशत उज्वला लाभार्थी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों में से हैं।
- **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** के तहत स्वतंत्रता से अब तक अंधेरे में रह रहे 18,000 गांवों में से 11,000 गांवों में रिकॉर्ड समय में बिजली पहुंचाई गई है। उजाला (उन्नत ज्योति बाइ अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल) कार्यक्रम के अंतर्गत 20 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं, जिससे उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों में दस हजार करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। इनमें से अधिकांश उपभोक्ता गरीब तबके के हैं।
- पने देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, और विशेष रूप से गरीबों के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं किफायती और सुगम बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। **इन्द्रधनुष मिशन** "हर बच्चे को हर जगह" निवारणीय बीमारियों से टीकाकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इससे अभी तक 55 लाख बच्चों को लाभ दिया जा चुका है। गरीबों को गुणात्मक औषधियां किफायती दामों पर उपलब्ध कराने हेतु **प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना** का प्रारंभ किया गया है। इंडैमिक जापानी इंसेफलाइटिस को नियंत्रित करने के लिए मुहैया कराई गई विशेष सुविधाओं के उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं और इस बीमारी से होने वाली मृत्युदर में कमी आई है।

किसानों के लिए

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जोखिम कवरेज को विस्तृत किया गया है, बीमा राशि को दो गुना किया गया है और किसानों के लिए प्रीमियम राशि को अब तक के न्यूनतम स्तर पर लाया गया है। 2016 खरीफ फसल की अवधि के दौरान, लगभग 3.66 करोड़ किसानों के लिए, 1.4 लाख करोड़ की राशि का बीमा किया गया।
- किसान क्रेडिट कार्डों को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से, मौजूदा कार्डों के अलावा तीन करोड़ कार्डों को, जल्द ही रूपे डेबिट कार्डों में बदला जाएगा। नाबार्ड निधि की राशि को दुगुना करके इकतालिस हजार करोड़ किया गया है ताकि सभी किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके।
- हर बूंद अधिक फसल तथा **"हर खेत को पानी"** को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का कवरेज बढ़ाया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान 12.7 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था की गई है।

महिलाओं के लिए

- घटते Child Sex Ratio के समाधान हेतु शुरू की गई **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना** के अच्छे परिणामप्राप्त हुए हैं।
- लड़कियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई जिसमें एक करोड़ से भी अधिक खाते खोले गए और 11 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि जमा हुई है।

- **प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान** के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को सक्षम चिकित्सा परिचरों द्वारा ante-natal care की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मातृत्व सुविधा अधिनियम में संशोधन और प्रसूति अवकाश अवधिको 12 सप्ताह से 26 सप्ताह तक बढ़ाने से गर्भवती महिलाओं को कार्य स्थल पर सहायता मिलेगी।

युवा वर्ग

- आज हमारी 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। हमारे युवा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है तथा युवा ऊर्जा का प्रभावी उपयोग आवश्यक है। सरकार ने 'हर हाथ को हुनर' के उद्देश्य से, युवकों को कुशल बनाने और उन्हें बेहतर रोजगार के योग्य बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पूर्व में 21 मंत्रालयों और 50 विभागों में फैले कौशल विकास कार्य को एक ही मंत्रालय के अधीन लाया गया है।
- अगले चार वर्षों में एक करोड़ युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए बारह हजार करोड़ के बजट परिव्ययन के साथ प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में 20 लाख से अधिक युवक पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। 10 हजार करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है। देशभर में फैले हुए 978 रोजगार कार्यालय राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल में एकीकृत किए गए हैं।
- पहली बार, ब्रिज पाठ्यक्रमों के माध्यम से, आईटीआई प्रशिक्षार्थियों को मैट्रिक और हायर सेकेंडरी स्तर पर अकादमिक बराबरी प्रदान की गई है ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। युवकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 50 भारतीय अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्रों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। सात लाख विद्यार्थियों के लिए उद्यम में शिक्षण और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए **प्रधान मंत्री युवा योजना** आरंभ की गई है

श्रमिकों के लिए

- सरकार ने श्रमिक कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं। कृषि और कृषि से भिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पहली बार 42 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- बोनस के कवरेज के लिए, गणना की अधिकतम सीमा दोगुनी करके सात हजार रुपए की गई है और बोनस के लिए पात्रता की सीमा दस हजार रुपए से बढ़ाकर इक्कीस हजार रुपए की गई है। इसका सीधा लाभ 55 लाख अतिरिक्त कामगारों को मिलेगा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से कर्मचारी भविष्य निधि खातों का अंतरण सुनिश्चित हुआ है और उससे करोड़ों कामगारों के हितों की रक्षा हुई है।

GENERAL STUDIES HINDI

वंचित और कमजोर वर्ग के लिए

- स्टैंड-अप इंडिया पहल के माध्यम से, ढाई लाख से अधिक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाया जाए। उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब बनाया गया जिसके लिए 490 करोड़ रुपए का प्रारम्भिक आबंटन किया गया है।
- वन अधिकार अधिनियम के तहत, 55.4 लाख एकड़ वन भूमि के क्षेत्रफल में 16.5 लाख व्यक्तिगत वन अधिकार स्वामित्व प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 47 लाख एकड़ वन भूमि क्षेत्रफल पर सामुदायिक वन अधिकार स्वामित्व प्रदान किए गए हैं।
- हमारे देश की खनिज संपदा अधिकांशतः जनजातीय आबादी (अधिवास) वाले क्षेत्रों में है। **प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना** से जहां एक ओर सतत खनन कार्य के प्रयोजन की पूर्ति

होगी वहीं खनन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों और गरीब निवासियों के जीवन में सुधार के लिए स्थानीय क्षेत्र का विकास भी होगा। इस दिशा में **जिला खनिज फाउन्डेशन** की स्थापना एक नवीन पहल है।

- सरकार ने जनजातीय उप-योजना के तहत आबंटन बढ़ाया है। **वनबंधु कल्याण योजना** के अंतर्गत जनजातीय लोगों के सशक्तीकरण के लिए, चौदह क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन (ग्रामीण-शहरी)** मिशन के अंतर्गत शामिल 300 जन-समुदायों में से 100 जन-समुदायों का विकास जनजातीय क्षेत्रों में किया जाएगा।

दिव्यांगजनों के लिए

- **सुगम्य भारत अभियान**- से दिव्यांगजनों के सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने में सुगमता हुई है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में वाणी और भाषा संबंधी अशक्तता तथा विशिष्ट शिक्षण संबंधी अशक्तता को पहली बार शामिल किया गया है।
- पूरे देश के लिए एक समान संकेत भाषा का विकास किया जा रहा है। आटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन तथा मल्टीपल डिसेबिलिटी से प्रभावित दिव्यांगजनों के लिए निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रावधान किया गया है
- सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजन के लिए **आरक्षण को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत** करने के साथ-साथ मेरी सरकार ने बैकलॉग रिक्तियों को भरने का काम भी तेज कर दिया है। मई, 2014 से अब तक पूरे देश में आयोजित 4700 विशेष सहायता शिविरों में 6 लाख से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं।

पूर्वोत्तर के विकास के लिए

- सभी क्षेत्रों का संतुलित और न्यायसंगत विकास भारत की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी सक्रिय 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी के तहत, सरकार द्वारा सड़क, रेल, वायुमार्ग, दूरसंचार, विद्युत और जलमार्गों का विकास करके देश के अन्य भागों से दूर पूर्व और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया है
- सरकार ने दो हजार पांच सौ किलोमीटर लंबी **जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना** के निष्पादन के साथ प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना शुरू की है। बारह हजार पांच सौ करोड़ रुपए के निवेश वाली यह परियोजना पांच राज्यों के 40 जिलों और 2600 गांवों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इस परियोजना द्वारा तीन बड़ी उर्वरक इकाइयां फिर से शुरू होंगी, 20 से अधिक शहरों का औद्योगिकीकरण होगा तथा 7 शहरों में सिटी गैस नेटवर्क का विकास होगा।
- सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों को **अष्टलक्ष्मी** के रूप में देखती है जो भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण-पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार है। हम सड़क-रेल मार्ग से अपने पड़ोसी देशों को जोड़ रहे हैं ताकि इस क्षेत्र के तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।
- उत्तर-पूर्वी राज्यों को निरंतर सहायता और उनका विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों को दी जाने वाली सहायता के पैटर्न में विशेष व्यवस्था जारी रखी गई है और इन राज्यों की कोर-सेंट्रल स्कीमों के लिए 90:10 के अनुपात से तथा नॉन-कोर सेंट्रल स्कीमों के लिए 80:20 के अनुपात से सहायता प्रदान की जा रही है।
- इस वर्ष के अंत तक उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थित सभी मीटर-गेज पटरियों को ब्रॉड-गेज में बदल दिया जाएगा। रेलवे ने इस क्षेत्र में लगभग दस हजार करोड़ रुपए की लागत से बड़े पैमाने पर

विस्तार कार्य शुरू कर दिया है। **अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय** को रेल मानचित्र में शामिल कर लिया गया है एवं त्रिपुरा में अगरतला को ब्रॉड-गेज लाइन के जरिए जोड़ दिया गया है।

अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का सृजन

- हाइवे से लेकर आई-वे तक; रेलमार्ग से लेकर जलमार्ग तक; समुद्रीपत्तन से हवाई अड्डों तक जल की पाइपलाइनों से लेकर गैस पाइपलाइन तक, भू-विज्ञान से उपग्रहों तक, ग्रामीण आधारभूत संरचना से लेकर स्मार्ट सिटी तक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के सृजन पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है।
- रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए 1.21 लाख करोड़ रुपए का सर्वाधिक पूंजीगत परिव्यय किया गया है। सरकार का उद्देश्य सभी ग्रामीण बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ने का है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 73,000 कि.मी. सड़क बनाई गई है। वामपंथी अतिवाद से प्रभावित 44 जिलों में 5,000 कि.मी. से अधिक सड़कों को अपग्रेड किया गया है।
- **राष्ट्रीय नागर विमानन नीति** से छोटे नगरों तक वायुयान से कनेक्टिविटी को अत्यधिक गति मिलेगी।
- **भारत नेट प्रोजेक्ट** के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबिल जो मई 2014 तक केवल 59 ग्राम पंचायतों तक पहुंचा था, अब 75,700 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुका है।
- भारत ने 8 ऑपरेशनल मिशन लॉन्च किए हैं, जिनमें मौसम-विज्ञान, नौवहन, पृथ्वी-प्रेक्षण और संचार-उपग्रह शामिल हैं। इसरो ने भारतीय क्षेत्रीय नौवहन-उपग्रह-प्रणाली **नाविक** के सात उपग्रहों के समूह को पूर्ण किया है। इसरो ने इस वर्ष एक साथ 20 उपग्रहों को एकल प्रक्षेपण के जरिए अंतरिक्ष में भेजा है जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है।
- सरकार समुद्री संपदा का इष्टतम उपयोग कर सागर-आधारित विकास को नई गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पत्तन-आधारित विकास पर आधारित **सागरमाला कार्यक्रम** के अंतर्गत, आगामी तीन वर्ष में तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कुल 199 परियोजनाएं कार्यान्वयन के लिए चिह्नित की गई हैं। इनमें से एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं पहले ही कार्यान्वित की जा रही हैं। भारतीय प्रायद्वीप से संबद्ध सागर में हमारे एक हजार तीन सौ बयासी द्वीप हैं, जिनमें से शुरुआत में 26 को एकीकृत विकास के लिए चुना गया है। नीली (समुद्री) अर्थव्यवस्था पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और इसमें भी मत्स्य-पालन के सतत विकास पर हमारा विशेष जोर रहेगा।

GENERAL STUDIES HINDI

GS PAPER III

1. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां

वर्ष 2016 में मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

सरकार ने ई-कॉमर्स के माध्यम से व्यापार के लिए भारत में विनिर्मित या उत्पादित उत्पादों के संबंध में 100% एफडीआई अनुमति दी है। खाद्य उत्पादों के निर्माण में पहले से ही 100% एफडीआई की अनुमति दी हुई है। इससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशी निवेश के प्रोत्साहन में प्रेरणा मिलेगी जिससे किसानों को भी लाभ होगा तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विनिवेश को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त वित्तीय रियायतें दी गई हैं:

- रेफ्रिजरेटेड कंटेनरों के उत्पाद शुल्क में कटौती कर 12.5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत करना
- रेफ्रिजरेटेड कंटेनरों के बुनियादी सीमा शुल्क में कटौती कर 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत करना
- 5 प्रतिशत बुनियादी सीमा शुल्क जो अभी कोल्ड स्टोरेज के लिए आयात परियोजना के तहत उपलब्ध है तथा कोल्ड रूम के पूर्व शीतलन इकाई, पैक हाउस, छंटाई और ग्रेडिंग लाइनों और पकने कक्षों सहित कोल्ड चेन तक भी बढ़ाया गया है।

मेगा फूड पार्क योजना के तहत:

- अब तक ऐसे 8 मेगा फूड पार्क कार्यान्वित कर दिए गये हैं।
- मुख्यतः ग्रामीण इलाकों में एक मेगा फूड पार्क के जरिए करीब पच्चीस से तीस हजार किसानों को लाभ होता है तथा पांच से छह हजार लोगों को रोजगार भी मिलता है
- मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में 157 फूड पार्कों को अधिसूचित किया है।

एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन आधारिक संरचना योजना के तहत:

- इस योजना के तहत वर्ष 2016 में 20 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके शुरू होने के बाद, मंत्रालय ने 2016 में 0.63 लाख मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज, 15 मीट्रिक टन प्रति घंटा का व्यक्तिगत क्लिक फ्रीजिंग (आईक्यूएफ), 10.65 लाख लीटर दूध का प्रतिदिन प्रसंस्करण/भंडारण और 99 बादबानी वैन की अतिरिक्त क्षमता विकसित किया है।
- पिछले ढाई वर्षों में 54 एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं को शुरू किया गया है जिससे कुल संख्या बढ़कर 91 हो गई है। मंत्रालय ने करीब 135 कोल्ड चेन परियोजनाओं को जिनकी क्षमता 3.67 लाख मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज, 94.29 मीट्रिक टन प्रति घंटा का व्यक्तिगत क्लिक फ्रीजिंग (आईक्यूएफ), 37.93 लाख लीटर दूध का प्रतिदिन प्रसंस्करण/भंडारण और 549 बादबानी वैन की है, को सहायता प्रदान किया है।
- सामान्यतः हरेक कोल्ड चेन परियोजना से फलों और सब्जियों के क्षेत्र में लगे करीब 500 किसानों को तथा डेयरी क्षेत्र में करीब 5000 किसानों को लाभ पहुंचा है और 100 लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं।
- बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण योजना के तहत, गोवा के पणजी में एक परियोजना शुरू किया गया है
- अंतर्राष्ट्रीय कोडेक्स मानकों के साथ नए योज्य सामंजस्य की एक बड़ी संख्या को मंजूरी दी है।

- एक वेब आधारित ऑन लाइन प्रणाली मेगा फूड पार्क और एकीकृत कोल्ड चेन तथा मूल्य संवर्धन आधारिक संरचना योजना के तहत प्रसंस्करण के अनुदान लिए शुरू किया गया है।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के पूर्ण विकास के लिए मंत्रालय ने कृषि-समुद्री प्रसंस्करण उत्पादन और कृषि समूहों के विकास (सम्पदा) नामक नई योजना के तहत भी कई कदम उठाए हैं। इसके लिए 14 वें वित्त आयोग ने 6000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

2. राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान, 2016-17

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय) सीएसओ (ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए स्थिर मूल्यों) 2011-12) और वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए हैं।

* स्थिर) 2011-12) मूल्यों पर अनुमान--:

(1.) सकल घरेलू उत्पाद) जीडीपी (वर्ष 2016-17 में स्थिर) 2011-12) मूल्यों पर वास्तविक जीडीपी अथवा सकल घरेलू उत्पाद) जीडीपी (के बढ़कर 121.55 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वर्ष 2015-16 में जीडीपी का अनंतिम अनुमान 113.50 लाख करोड़ रुपये आंका गया था, जो 31 मई 2016 को जारी किया गया था। वर्ष 2016-17 में जीडीपी वृद्धि दर 7.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वर्ष 2015-16 में जीडीपी वृद्धि दर 7.6 फीसदी आंकी गई थी।

(2.) बुनियादी मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धित) जीवीए (वर्ष 2016-17 में बुनियादी स्थिर मूल्यों) 2011-12) पर वास्तविक जीवीए अर्थात जीवीए के बढ़कर 111.53 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान लगाया गया है, जो वर्ष 2015-16 में 104.27 लाख करोड़ रुपये था। वर्ष 2016-17 में बुनियादी मूल्यों पर वास्तविक जीवीए की अनुमानित वृद्धि दर 7.0 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है, जो वर्ष 2015-16 में 7.2 फीसदी थी।

CSO's projection is mostly based on data available at the end of October, and doesn't factor in demonetisation

GDP growth 2016-17 7.1% 2015-16 7.6%	Agriculture growth 2016-17 4.1% 2015-16 1.2%	Per capita net national income (current prices) 2016-17 ₹ 1,03,007 (rise of 10.4 %) 2015-16 ₹ 93,293
Real GDP 2016-17: ₹ 121.55 lakh crore. Estimate of real GDP 2015-16: ₹ 113.50 lakh crore.	Final Consumption Expenditure 2016-17 23.8% 2015-16 2.2% The final consumption expenditure sees a spike since last fiscal	Gross Value Added (GVA) Will grow at 2016-17 7% 2015-16 7.2%

- जिन क्षेत्रों ने 7.0 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि दर दर्ज की है उनमें 'लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं', 'वित्तीय, अचल संपत्ति एवं प्रोफेशनल सेवाएं' और 'विनिर्माण' शामिल हैं।

'कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन', 'खनन एवं उत्खनन', 'विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं', 'निर्माण' और 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से जुड़ी सेवाओं' की वृद्धि दर क्रमशः 4.1, (-) 1.8, 6.5, 2.9 और 6.0 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है।

(3.) प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2016-17 के दौरान वास्तविक रूप में) 2011-12 के मूल्यों पर (प्रति व्यक्ति आय के बढ़कर 81805 रुपये हो जाने की संभावना है, जो वर्ष 2015-16 में 77435 रुपये थी। वर्ष 2016-17 के दौरान प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 5.6 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष 6.2 फीसदी थी।

** वर्तमान मूल्यों पर अनुमान-----:

*सकल घरेलू उत्पाद:- वर्ष 2016-17 में वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी) सकल घरेलू उत्पाद (के बढ़कर 151.93 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच जाने की संभावना है, जो वर्ष 2015-16 में 135.76 लाख करोड़ रुपये आंकी गई थी। यह 11.9 फीसदी की वृद्धि दर दर्शाती है।

3. भारत में एक वैज्ञानिक शक्ति बनने की असीम क्षमता है और इस दिशा में बुनियादी एवं मौलिक शोध में और ज्यादा निवेश करने पर विचार करना चाहिए

अनेक नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने यह राय व्यक्त की है कि भारत में एक वैज्ञानिक शक्ति बनने की असीम क्षमता है और इस देश को बुनियादी एवं मौलिक शोध में और ज्यादा निवेश करना चाहिए

4. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर दिसंबर, 2016 में 3.41 फीसदी रही

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय) सीएसओ (ने दिसंबर, 2016 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) सीपीआई (पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े जारी किए।
- इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर 3.83 फीसदी) अनंतिम (रही, जो दिसंबर, 2015 में 6.32 फीसदी थी।
- इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर दिसंबर, 2016 में 2.90 फीसदी) अनंतिम (आंकी गयी, जो दिसंबर 2015 में 4.73 फीसदी थी।
- इसी तरह यदि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक) सीएफपीआई (पर आधारित महंगाई दर दिसंबर, 2016 में 1.37 फीसदी) अनंतिम (रही है, जो दिसंबर, 2015 में 6.40 फीसदी) अंतिम (थी।

5. प्रस्तावित 'राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति 2016' की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में भूमिका

यह नीति क्यों

समुद्रीमात्स्यिकी- मे से 0 200 समुद्री मील तक के सम्पूर्ण क्षेत्र के विकास को दिशा देने के मकसद-से, वर्तमान में लागू 'व्यापक समुद्री मात्स्यिकी नीति' को वर्ष में जारी किया गया था। इस नीति के 2004 तहत तटवर्ती राज्यों और केंद्र, दोनों को मिल कर, देश में 'समुद्रीमात्स्यिकी-' के विकास के प्रयास करने थे। चूंकि इस नीति को जारी किये वर्ष से अधिक का समय बीत गया था 10, इसलिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री मात्स्यिकी सेक्टर के बदलते परिप्रेक्ष्य में देश की 'समुद्री मात्स्यिकी नीति' की समीक्षा करना आवश्यक था।

देश में समुद्री मात्स्यिकी में मौजूदा असंतुलन दूर करने में, इसका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने में तथा इससे जुड़े लाखों मछुवारों की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में प्रस्तावित 'राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति 2016' एक अहम मार्गदर्शक की भूमिका निभायेगा देश में समुद्री मात्स्यिकी में मौजूदा असंतुलन दूर करने में, इसका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने में तथा इससे जुड़े लाखों मछुवारों की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में प्रस्तावित 'राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति 2016' एक अहम मार्गदर्शक की भूमिकानिभाएगी।

- देश में निकटवर्ती समुद्री संसाधनों का पिछले दो तीन दशकों में अधिक दोहन हुआ है, यह सिलसिला अगर इसी प्रकार से जारी रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में समुद्री आजीविका पर संकट

आ सकता है। उन्होंने कहा कि ईईजेड के गहरे समुद्री संसाधन अभी भी हमारी पहुंच से बाहर हैं। इस संकट से निकलने के लिए जरूरी है कि समुद्री मत्स्य संसाधनों के सतत उत्पादन को बनाये रखा जाए।

- प्रस्तावित 'राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति' के मसौदे में वर्तमान में गहरे समुद्र में फिशिंग करने-समाप्त करने तथा उसके स्थान पर पारम्परिक मछुवारों को गहरेसमुद्र में फिशिंग की- ट्रेनिंग और कौशल विकास द्वारा सशक्तिकरण करने सम्बंधी सिफारिश की गयी है।
- इस नीति में पारम्परिक मछुवारों को गहरेसमुद्र में फिशिंग की- ट्रेनिंग देने की दिशा में पहले ही प्रयास शुरू कर दिये गये हैं, तथा पारम्परिक मछुवारों द्वारा गहरेसमुद्र में- फिशिंग को बढ़ावा देने के लिये विशेष योजना शुरू करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं।
- प्रस्तावित 'राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति' के मसौदे में यह प्रस्ताव भी है कि सरकार मंत्रालय/द्वारा इस 'नीति' के मसौदे की औपचारिक स्वीकृति के बाद मसौदे में निहित प्रत्येक सिफारिश पर कार्रवाई के लिये, आगामी दस वर्षों के लिये एक विस्तृत 'रोडमैप-' बनाया जायेगा। इस 'रोड-मैप' में विभिन्न सिफारिशों पर कार्रवाई के लिये न केवल जिम्मेदार एजेंसियों को चिन्हित किया जायेगा, बल्कि कार्यान्वयन की समय-अवधि भी तय की जायेगी।
- नीति के कार्यान्वयन के लिये जरूरी धन के सम्भावित स्रोत निर्दिष्ट करने के सुझाव भी 'रोड-मैप' में दिये जायेंगे। कार्यान्वयन योजना की समय बद्धता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये 'निगरानी और मूल्यांकन' की रूपरेखा भी बनाई जायेगी।
- 'मात्स्यिकी' मूल रूप से राज्यसरकार का विषय है।- अंतःस्थलीय मात्स्यिकी (Inland Fisheries) तथा मील तक का क्षेत्र पूर्णरूप से राज्यों के ही अधीन आता है-समुद्री 12 जबकि 12 मील से परे-समुद्री, 200 समुद्रीमील तक का- 'ईजेड.ई.' का क्षेत्र ही केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है

तट से दूर गहरे समुद्र में मौजूदा समुद्री संसाधनों के बेहतर उपयोग और लाखों मछुआरों की आजीविका को सुगम बनाने के लिए जरूरी है कि केन्द्र और तटीय राज्य सरकारें मिलकर राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति पर पूरी गंभीरता के साथ अमल करें।

6. श्री रामविलास पासवान ने सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से लम्बित पीडीएस सुधारों को मार्च, 2017 तक पूरा करने का अनुरोध किया*

लक्षित पीडीएस के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण योजना का सारांश क्र.स. विवरण स्थिति

(1.) राशनकार्डों / लाभार्थियों का डाटा डिजिटलीकरण – सभी 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के पारदर्शिता पोर्टलों पर 23 करोड़ राशनकार्डों का डिजिटलीकृत ब्यौरा उपलब्ध।

(2.) आधार से राशनकार्डों का जुड़ाव –

खाद्य सब्सिडी को बेहतर तरीके से लक्षित करने के लिए 72.32 प्रतिशत) 16.62 करोड़ (राशनकार्ड आधार से जोड़े गए

(3.) खाद्यान्न का ऑनलाइन आवंटन – 29 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभ

(4.) सप्लाई चेन ऑटोमेशन- 20 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा तथा शेष में कार्य प्रगति पर

(5.) पारदर्शिता पोर्टल – सभी 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित

(6.) शिकायत निवारण सुविधाएं- सभी 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर तथा ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण सुविधा उपलब्ध

(7.) उचित मूल्य की दुकानों का ऑटोमेशन- 1.7 लाख से अधिक दुकानों का ऑटोमेशन

(8.) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) नकद (- 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियावित. - other special point:--

आन्ध्र प्रदेश नकदी रहित सुधारों में अग्रणी भूमिका निभाने वाला राज्य है। - आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत डिजिटल भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य है।

7. भारत और पानी की समस्या

यदि पौधों को बेहतर ढंग से पानी दिया नहीं जाता है तो बेहतर बीज एवं उर्वरक भी अपनी पूरी क्षमता दिखाने में असफल होते हैं। जल के असंतुलित उपयोग से इस महत्वपूर्ण संसाधन की बर्बादी नहीं होनी चाहिए अतः इसका समूचित उपयोग कर पर्यावरण को अनुकूल बनाना चाहिए।

विभिन्न क्षेत्रों में पानी का उपयोग भारत में

भारत में कृषि में लगभग 86%, उद्योग के लिए 6% व घरेलू उपयोग के लिए 8% जल का उपयोग किया जाता है।

पानी की पर्याप्त उपलब्धता फिर भी कमी

- विश्व में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल होने के बावजूद भारत को पानी की कमी का सामना कर रहा है।
- भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में तेजी से गिरावट आ रही है।
- वर्ष 1951 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 5,177 क्यूबिक मीटर थी जो 2025 व 2050 में क्रमशः घटकर 1341 व 1140 क्यूबिक मीटर हो जाएंगी जिससे हमारा देश जल अल्पता के श्रेणी में आ जाएगा।

जल की समस्याएं भारत में

- वर्तमान में भारत और अन्य देश जल प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहा है। इनमें भूमिगत जल संसाधन का अत्यधिक दोहन; उचित फसल चक्र की कमी; कमजोर जल उपयोग दक्षता (डब्ल्यूई); किसानों में जागरूकता की कमी; जल का अनुचित पुनः चक्रण कर: उपयोग व उद्योगों से जुड़ी समस्याएं शामिल :उसका पुनर्हैं।

भारत सरकार द्वारा कुशल जल प्रबंधन के लिए अपनाई गई कार्यनीतियां/schemes* :-

(कस्त्रोत सृजन :- (पीएमकेएसवाई) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (, वितरण, प्रबंधन, फील्ड उपयोग व विस्तार कार्यकलापों के लिए समग्र समाधान के साथ-साथ संकेंद्रित ढंग से सिंचाई कवरेज- 'हर खेत को पानी) 'अर्थात् प्रत्येक खेत को पानी को बढ़ाने तथा जल उपयोग कुशलता बढ़ाने से (1

जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की गई। इस स्कीम से प्रत्येक खेत में जल पहुंचाने व जल का कुशल उपयोग सुनिश्चित होना प्रत्याशित है, जिससे कृषि उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि होगी।

(खमिक्षित कृषि पद्धतियों/इसका लक्ष्य स्थान विशिष्ट समेकित - :राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (; मृदा व नमी सरंक्षण उपायों; व्यापक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन; कुशल जल प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देकर व वर्षासिंचित प्रौद्योगिकियों को मुख्य धारा में लाकर कृषि का अधिक उत्पादक, सतत व लाभप्रद तथा जलवायु अनुकूल बनाना है।

और क्या कदम आवश्यक

- सिंचाई में अधिक दक्षता लाने पर जोर दिया जाना चाहिए। इसे जल पहुंचाने, पानी की बर्बादी रोकने के लिए सिंचाई पद्धति में उचित डिजाइन बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। स्पिंकलर और ड्रिप सिंचाई पद्धति के उपयोग कर जल बचत पद्धतियों को अपनाने से न केवल जल सरक्षण में प्रभावी वृद्धि हुई है बल्कि पादप जो कि इसे ग्रहण करता है, को नियंत्रित तरीके से जल प्रदान करके बेहतर गुणवत्ता उत्पाद के साथ अधिक आय प्राप्त की जा सकती है।
- (जल के विविध एवं पुनः उपयोग दृष्टिकोण से अधिक विविधिकृत आजीविका रणनीति बनाने और परिस्थितिक तंत्र में सुधार करके अधिक लाभ, प्राप्त किया जा सकता है तथा पर्यावरण संवेदनशीलता को कम भी कम किया जा सकता है।
- (सतत क्षेत्रों में पनधारा विकास और वर्षा जल संचयन हेतु सूक्ष्म जल संरचना के विकास के माध्यम से जल संसाधन संचयन पर जोर दिया जाना चाहिए।
- कम जल वाले क्षेत्रों में, विशिष्ट समाधान खोजे जाने चाहिए जहां सामान्य उपाय ज्यादा प्रभावी नहीं है वहां उसे अपनाया जाना चाहिए। नदियों अथवा जल संसाधनों के माध्यम से जल के बारहमासी स्रोतों के साथ कम जल वाले क्षेत्रों को जोड़ना एक विकल्प है।
- मोटे अनाज विशिष्टतः कदन्न की खेती जो पोषक अनाज के रूप में जाना जाता है एवं इसमें कम जल की आवश्यकता होती है तथा यह जलवायु सहिष्णु भी होता है, को विश्वभर में सुरक्षित एवं पौषक भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

8. ग्रामीण सड़कों का लक्ष्य पहुंच के भीतर ग्रामीण विकास मंत्रालय -*:-

current situation:-

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत (पीएमजीएसवाई) 31 मार्च, 2017 तक 48,812 किलोमीटर के वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा क्योंकि हर साल जनवरी से मई माह के बीच निर्माण कार्य गति पकड़ता है .27 जनवरी, 2017 तक 32,963 किमी लंबी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है जो कि वार्षिक लक्ष्य का 67.53 फीसदी है।

Progress*:

- इसका मतलब ये है कि रोजाना करीब 111 किमी सड़कें बनाई जा रही हैं। वार्षिक लक्ष्य .)48,812 किमी के मुताबिक रोजाना (.133 किमी सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए। यह . समझना जरूरी है कि सितंबर से दिसंबर तक का वक्त सड़क निर्माण की दृष्टि से काफी कमजोर .होता है जबकि जनवरी से मई माह तक का वक्त निर्माण कार्य के लिए काफी बेहतर होता है यहां यह रेखांकित करना भी जरूरी है कि अप्रैल से अगस्त, 2016 की समयावधि के तहत

Achievement in respect of Length and Habitations

Year (s)	Length completed (in km) upto January	Habitations connected (in Nos.) upto January
1	2	3
2011-12	21750	4142
2012-13	18080	5491
2013-14	16914	4670
2014-15	26650	8368
2015-16	25709	5903
2016-17	32963	6473
Total:	142067	35047

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रतिदिन औसतन 139 किमी सड़क का निर्माण हुआ। ऐसे में 31 मार्च, 2017 तक इस योजना के वार्षिक 48,812 किमी लंबाई के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।

➤ 2016-17 में बस्तियों से जोड़े जाने का वार्षिक लक्ष्य 15000 बस्तियां था, जबकि 27.01.2017 तक 6,473 बस्तियों से जोड़ा जा चुका है। 31 मार्च, 2017 तक पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बस्तियों से जोड़े जाने का लक्ष्य भी पूरा कर लिया जाएगा।

Construction using 'green technologies' and 'non-conventional materials':--

- एक और अन्य बड़ी उपलब्धि है कि पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों के निर्माण में "हरित प्रौद्योगिकी और गैरबेकार प्लास्टिक) परंपरागत सामग्री-, कोल्ड मिक्स, जियोटेक्स्टाइल्स-, फ्लाइ ऐश, आयरन स्लैग आदि(" के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित किया गया क्योंकि यह स्थानीय रूप से उपलब्ध थी।
- यह कम लागत वाली, गैरप्रदूषण-, श्रम के अनुकूल और तेजी से निर्माण करने वाली प्रौद्योगिकियां) सामग्री हैं। पीएमजीएसवाई (2000 से 2014) के पहले 14 वर्षों के दौरान इन प्रौद्योगिकी सामग्री के इस्तेमाल से सिर्फ 806.93 किमी पिछले दो वर्षों (2014-2016) के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत इन प्रौद्योगिकी सामग्री के इस्तेमाल से 2,634.02 किमी) मौजूदा वर्ष (2016-17) में 27.01.2017 तक इन प्रौद्योगिकी सामग्री के इस्तेमाल से 3,000 किमी सड़कें बनाई गईं।।

9. खाद्य और पोषण सुरक्षा बनाए रखने की चुनौतियां पूरी करने के लिए सहयोगात्मक और समन्वित नीतियों के जरिए नए समाधान आवश्यक

- भारत में कृषि वैज्ञानिक पद्धतियों, मूल्यों, उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल की जानकारी तथा मौसम और कीटों से संबंधित संदेश सम्प्रेषित में आईसीटी एक कारगर और सशक्त माध्यम सिद्ध हुआ है।
- कृषि क्षेत्र में संचार प्रक्रिया के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने हेतु कई नए उपाय शुरू किए गए हैं। इनमें कृषि वेब पोर्टल, मोबाइल एप्स और एक प्रतिबद्ध टीवी प्रसारण चैनल की शुरुआत शामिल है।
- देश में कृषि विपणन प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम-ई) पोर्टल शुरू किया गया है, जो अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की सुविधाएं प्रदान करता है। यह ईमार्केटिंग प्लेटफार्म किसानों को एक सक्षम-, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक विपणन मंच के जरिए उपज के बेहतर दामों का पता लगाने; कृषि जिनसों के बेहतर विपणन; और बाजार से संबंधित जानकारी हासिल करने में मदद करेगा और पारदर्शी नीलामी प्रक्रियाओं के जरिए राज्य के भीतर और उससे बाहर बड़ी संख्या में खरीददारों तक किसानों की पहुंच कायम करने में सहायक होगा
- देश में सक्षम सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए 2015 में सरकार द्वारा एक प्रमुख सिंचाई कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें जल संरक्षण वर्षा जल संग्रह और लघु सिंचाई के उपयोग के जरिए पानी के किफायती इस्तेमाल में सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य समूची सिंचाई

- आपूर्ति श्रृंखला अर्थात् जल स्रोतों, वितरण नेटवर्क और खेत स्तरीय अनुप्रयोगों तथा नई प्रौद्योगिकियों और सूचना संबंधी सेवाओं के विस्तार के लिए सभी मुद्दों का प्रारंभ से अंत तक समाधान करना है। यह कार्यक्रम एक अभियान की तरह लागू किया जा रहा है, जिसमें दिसम्बर, 2019 तक चरणबद्ध तरीके से 99 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करके 76.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विस्तार किया जाना है।
- **सहयोगात्मक और समन्वित नीतियों के जरिए नवीन समाधानों की आवश्यक:** स्थाई वैश्विक खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य हासिल करने में जी-20 अर्थव्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस बात पर आम सहमति बढ़ रही है कि खाद्य और पोषण सुरक्षा बनाए रखने के लिए सदस्य देशों और गैर-सदस्य देशों के बीच सहयोगात्मक और समन्वित नीतियों के जरिए नवीन समाधानों की आवश्यकता है।
- विश्व अर्थव्यवस्था ने वैश्विक खाद्य उत्पादन बढ़ाने में व्यापक तरक्की की है, लेकिन जलवायु संबंधी जटिलताओं में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, मृदा स्वास्थ्य विकृत होने और जोत क्षेत्रों के विखंडन जैसी नई चुनौतियां इस बढ़ोतरी को बनाए रखने के प्रति गंभीर जोखिम उत्पन्न कर रही हैं। विकासशील और अर्द्ध विकसित अर्थव्यवस्थाओं को, विशेष रूप से जिन अन्य प्रमुख मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें विपणन ढांचे का अभाव, अनाज की हानि और बरबादी, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कृषि ऋण कवरेज में कमी, और बार बार होने वाले जलवायु परिवर्तनों से किसानों की उपज का बीमा जैसी समस्याएं शामिल हैं।



GENERAL STUDIES HINDI

Prelims

1. मातृत्व लाभ कार्यक्रम का अखिल भारतीय विस्तार (एमबीपी)

क्या महत्त्व

- एक कुपोषित महिला अधिकांश तौर पर एक कम वजन वाले बच्चे को जन्म देती है। जब इस कुपोषण का प्रारंभ गर्भाशय से होता है तो विशेष रूप से इसका प्रभाव महिला के सम्पूर्ण जीवन चक्र पर पड़ता है। आर्थिक और सामाजिक दबाव के कारण बहुत सी महिलाओं को अपनी गर्भावस्था के अंतिम दिनों तक परिवार के लिए आजीविका कमानी पड़ती है।
- पोषण के रूप में विशेष तौर पर सर्वाधिक कमजोर समुदायों में प्रत्येक महिला की इष्टतम पोषण स्थिति को सुनिश्चित करना गर्भावस्था और स्तनपान दोनों की अवधि के दौरान अधिक महत्वपूर्ण है। एक महिला के पोषण की स्थिति और उसके स्वास्थ्य प्रभावों के साथ-साथ उसके शिशु के स्वास्थ्य और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है।

क्या है योजना

- कुपोषण तथा उससे झुड़े मुद्दों के समाधान के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 4 (बी) के प्रावधानों के अनुसार गर्भवती और स्तनपान कराने (वाली) महिलाओं के लाभ हेतु सशर्त नकद हस्तांतरण योजना मातृत्वलाभ कार्यक्रम का गठन किया गया था।
- इस योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- इस योजना में प्रसव से पूर्व और पश्चात आराम, गर्भधारण और स्तनपान की अवधि में स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में सुधार एवं जन्म के छह महीनों के दौरान बच्चे को स्तनपान कराना बच्चे के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित रूप से रोजगार करने वाली अथवा इसी प्रकार की **किसी योजना की पात्र महिलाओं को छोड़कर** सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले दो जीवित शिशुओं के जन्म के लिए तीन किस्तों में 6000 रुपये का नकद प्रोत्साहन देय है।
- कद हस्तांतरण को डीबीटी मोड में व्यक्तिगत बैंक डाकघर खाते से जुड़े आधार के माध्यम से/ किया जायेगा।

GENERAL STUDIES HINDI

2. आईपीआर प्रवर्तन टूलकिट और बच्चों हेतु आईपीआर जागरूकता अभियान का शुभारंभ

किसने तैयार किया है :

इस टूलकिट को संयुक्त रूप से आईपीआर संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ तथा भारतीय (सीआईपीएएम) द्वारा तैयार किया गया है। (फिक्की) वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ

मकसद

- यह टूलकिट देश भर के पुलिस अधिकारियों के लिए खासतौर पर ट्रेडमार्क जालसाजी और कॉपीराइट चोरी जैसे आईपी अपराधों से निपटने में प्रभावी साधन सिद्ध होगी।

- विभिन्न कानूनों के अंतर्गत अपराधों के विवरण के अलावा यह शिकायत दर्ज करने के लिए और जांच एवं जब्ती हेतु एक सूची भी प्रदान करती है।
- यह आईपी अपराधों के मामले में जब्ती और जांच करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश भी प्रदान करती है। यह टूलकिट देश भर के सभी राज्य पुलिस विभागों को प्रदान की जाएगी और यह उन्हें ट्रेडमार्क तथा कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित मामलों से निपटने में मदद प्रदान करेगी।

3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहलकदमियां व उपलब्धियां

1. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)

- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) का लक्ष्य सुरक्षित गर्भावस्था व सुरक्षित प्रसव के जरिये मातृ व शिशु मृत्युदर को कम करना है।
- इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के जरिए देश भर में लगभग 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं को विशेष मुफ्त प्रसव पूर्व देखभाल मुहैया कराई जा रही है, ताकि उच्च जोखिम वाले गर्भधारण का पता लगाने के साथ-साथ इसकी रोकथाम की जा सके।
- इस देशव्यापी कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को संपूर्ण व गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल व जांच के लिए हर महीने की 9 तारीख का दिन निर्धारित किया गया है।
- गर्भवती महिलाएं अब सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर अपनी दूसरी या तीसरी तिमाही में स्त्री रोग विशेषज्ञों/चिकित्सकों द्वारा मुहैया कराए जाने वाले विशेष प्रसव पूर्व चेक-अप का लाभ उठा सकती हैं। यह सुविधा निजी क्षेत्र के डॉक्टरों के सहयोग से मुहैया कराई जा रही है, जो सरकारी क्षेत्र के प्रयासों के पूरक के तौर पर उपलब्ध होगा।
- इसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में चिन्हित स्वास्थ्य सेवा केंद्रों पर सामान्य प्रसव पूर्व चेक-अप के अलावा अल्ट्रासाउंड, रक्त और मूत्र परीक्षण सहित इन सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इसका एक उद्देश्य उच्च जोखिम वाले गर्भधारण का पता लगाना और इस दिशा में समुचित कदम उठाना है, ताकि एमएमआर और आईएमआर में कमी संभव हो सके।

2. मां- माता का पूरा प्यार

- स्तनपान को बढ़ावा देने व इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया।
- कार्यक्रम का नाम 'एमएए' स्तनपान कराने वाली माताओं को उनके परिजनों और स्वास्थ्य सुविधाओं से मिलने वाले समर्थन को दर्शाता है।
- एमएए कार्यक्रम के मुख्य घटक हैं-
 - सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना
 - आशा के जरिए अंतर संपर्क मजबूत करना
 - सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसूति केंद्रों पर स्तनपान के लिए सहयोग और निगरानी तथा पुरस्कार/सम्मान।

3. नए टीकाओं की शुरुआत

- a) **रोटा वायरस टीका:** बच्चों में रोग वायरस की वजह से होने वाली अस्वस्थता व मृत्यु को कम करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के मद्देनजर शुरुआती चरण में चार राज्यों हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश व हरियाणा में अप्रैल 2016 से रोग वायरस टीकाकरण को संपूर्ण टीकाकरण में शामिल किया गया है।

b) **वयस्क जेई टीकाकरण:** उन जिलों में जहां वयस्क आबादी में जापानी इंसेफलाइटिस (जेई) बीमारी बड़े पैमाने पर फैलती है वहां जेई टीकाकरण को वयस्कों तक विस्तारित किया गया है। हाल में असम, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल के अधिक बीमारी वाले 21 जिलों को वयस्क जेई टीकाकरण के लिए चिन्हित किया गया है। असम के 3 जिलों (दरांग, नौगांव व सोनितपुर) व पश्चिम बंगाल के 3 जिलों (दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार) के चिन्हित प्रखंडों में वयस्क जेई टीकाकरण अभियान को पूरा किया गया है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के चिन्हित प्रखंडों में यह अभियान चल रहा है।

4. मिशन इंद्रधनुष

- मिशन इंद्रधनुष का दूसरा चरण जनवरी 2016 में 352 जिलों में चला। तीसरा चरण अप्रैल से जुलाई 2016 के बीच देशभर के 216 जिलों में चलाया गया।
- समेकित बाल स्वास्थ्य एवं प्रतिरोधक सर्वेक्षण 2016 के मुताबिक मिशन इंद्रधनुष के शुरू होने के बाद से पूरी तरह से रोग प्रतिरोधक होने का दायरा 5-7 प्रतिशत बढ़ गया है।

5. परिवार नियोजन

- नए विकल्प: राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में तीन नई विधियों को शामिल किया गया है:
- परिवार नियोजन का नया मीडिया अभियान: परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता के लिए 360 डिग्री की सूचना संचार के साथ नया अभियान शुरू किया गया है जिसमें एक नए लोगो के साथ श्री अमिताभ बच्चन को इसका ब्रांड एंबेस्डर बनाया गया है।

6. सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा (आईडीसीएफ)

- इस गतिविधि का महत्व इसमें है कि डायरिया होने पर हर घर में ओआरएस उपलब्ध रहे।
- इसमें ओआरएस बनाने की विधि का भी प्रदर्शन किया गया।
- पिछले साल के दौरान, आईडीसीएफ की गतिविधियों के तहत करोड़ बच्चों तक पहुंचा गया। 6.3
- इस वर्ष पखवाड़े के दौरान इसे और विस्तारित करने के क्रम में साल से कम उम्र के सभी 5 बच्चों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। पिछले साल लाख बच्चों को डायरिया की वजह से 21 मौत व अस्पताल में भर्ती होने से बचाया जा सकता था।

7. राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस (एनडीडी)

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख पहल के तहत फरवरी 10, राष्ट्रीय 2016 कृमि निवारण दिवस के रूप में मनाया गया।
- यह विश्व में सबसे बड़ा एक दिवसीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान था, जिसके तहत आयु 19-1 करोड़ बच्चों को कृमि से मुक्ति की दवाई खिलाने का लक्ष्य रखा गया। 27 वर्ग के लगभग
- यह अभियान स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के मंच द्वारा चलाया गया।

8. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

- इसके अंतर्गत गरीब लोगों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

9. आईसंबंधी पहलकदमियां .टी.

- a) **स्वच्छ भारत मोबाइल एप्लीकेशन** - “स्वच्छ भारत मोबाइल एप्लीकेशन” नागरिकों को विश्वसनीय व वांछित स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं प्रदान कर उन्हें सशक्त करेगा। यह एप्लीकेशन स्वस्थ जीवनशैली, बीमारियों की पूरी जानकारी, लक्षण, उपचार के विकल्प, प्राथमिक उपचार और जन स्वास्थ्य चेतावनियों से अवगत कराएगा।
- b) **एएनएम ऑनलाइन एप्लीकेशन (अनमोल)** – अनमोल टेबलेट आधारित एप्लीकेशन है जो एएनएम को अपने दायरे में आने वाले लाभार्थियों से संबंधित आंकड़ों को अपडेट करने की सुविधा प्रदान करता है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा स्वयं आंकड़ों को इसमें फीड करने और उसमें बदलाव करने के विकल्प से आंकड़े त्वरित गति से अपडेट हो सकेंगे। यह एप्लीकेशन आधार से जुड़ा है ऐसे में कार्यकर्ता और लाभार्थी दोनों के रिकॉर्ड को प्रमाणित करने में मदद मिलेगा।
- c) **ई-रक्तकोष पहल** – यह इंटीग्रेटेड ब्लड बैंक मैनेजमेंट इंफोर्मेशन सिस्टम है जिसे इसके सभी साझेदारों के साथ कई परामर्श के बाद तैयार किया गया है। वेब आधारित यह तकनीकी प्लेटफॉर्म राज्य-के सभी ब्लड बैंकों को एक साथ जोड़ देगा। इंटीग्रेटेड ब्लड बैंक एमआईएस रक्तदान व ट्रांसफ्यूजन सेवाओं से जुड़ी सूचनाओं तथा रक्त की उपलब्धता, मान्यता, भंडारण व अन्य तरह के आंकड़ों के प्रवाह को सुनिश्चित करेगा। इस व्यवस्था से विविध तरह के आंकड़ों को सुस्पष्ट रिपोर्टों में तब्दील करने में मदद करेगा।
- d) **इंडिया फाइट डेंगू** - में जारी यह एप्लीकेशन समुदाय के लोगों को डेंगू से लड़ने व उसकी 2016 रोकथाम के तरीकोंके बारे में बताता है।
- e) **किलकारी**, एक ऐसा एप्लीकेशन है जो गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से शिशु की एक वर्ष की आयु तक, शिशु जन्म व शिशु की देखभाल से संबंधित उपयुक्त समय पर मुफ्त, साप्ताहिक, ऑडियो संदेश परिवार 72 के मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराता है। इसे झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में शुरू किया गया है।
- f) **मोबाइल एकेडमी**, आशा कार्यकर्ताओं के ज्ञान को विस्तारित व तरोताजा करने व उनकी संवाद कौशलता को निखारने के मकसद से तैयार किया गया ऑडियो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। यह आशा कार्यकर्ताओं को उनके मोबाइल फोन के जरिये किफायती और प्रभावी तरीके से प्रशिक्षित करता है। इससे वह बिना कहीं गए अपनी सुविधा के अनुसार सुनकर सीख सकती हैं। इसे झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तराखंड में शुरू किया गया है।
- g) **एम-सेसेशन** उन लोगों के लिए है जो तंबाकू उत्पादों का सेवन छोड़ना चाहते हैं। यह उन्हें मोबाइल फोन के जरिये संदेश भेजकर इस दिशा में मदद करता है। यह पारंपरिक तरीकों से कहीं ज्यादा किफायती है। दुनिया में ऐसा पहली बार है जिसमें एमस्वास्थ्य पहल के जरिये इस तरह- की दो तरफा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
- h) **राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल (एनएचपी)** भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य से जुड़ी सभी तरह की सूचनाएं एक ही प्लेटफॉर्म के जरिये पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है।
- i) **राष्ट्रीय ई(नेहा) स्वास्थ्य प्राधिकरण**- स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं को एकीकृत करेगा। यह अस्पतालों के आईटी सिस्टम और जन स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच अनियोजन से आने वाली समस्या को दूर करने में मदद करेगा। यह मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं व आंकड़ों की सुरक्षा व निजता से संबंधित कानून व नियमन को लागू कराएगा। इसमें मरीज के इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य आंकड़े का प्रावधान होगा।

9.राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (एनएचपीएस)

भारत सरकार ने एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लाने का (एनएचपीएस) प्रस्ताव किया है जिसमें गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर 1.0 30 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसमें 60 दिया जाना परिकल्पित है।, रुपये की राशि 000 अतिरिक्त होगी। वरिष्ठ नागरिक वाला घटक 01.04.2016 से लागू होगा।

10. अंग दान (Organ Donation)

भारत सरकार ने मानव अंग और कोशिका प्रत्यारोपण अधिनियम, के प्रावधानों के अनुरूप 1994 मानवसंसाधन को प्रशिक्षित करने व मृतक लोगों के अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय अंग दान कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत, सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय संगठन राष्ट्रीय अंग व ऊतक प्रत्यारोपण संगठन स्थापित किया गया है। यह राष्ट्रीय स्तर (एनओटीटीओ) पर नेवर्किंग और अंग व ऊतक दान के लिए ऑनलाइन वितरण की व्यवस्था करेगा, साथ ही मृतक लोगों का अंग व ऊतक दान करने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित करेगा।

- राष्ट्रीय अंग व ऊतक दान तथा प्रत्यारोपण पंजीकरण (एनओटीटीआर) भी शुरू किया गया है। एनओटीटीआर अंग या ऊतक चाहने वाले मरीजों की एक राष्ट्रीय प्रतिक्षा सूची तैयार करे
- एक लाख से ज्यादा लोगों से अंग दान की प्रतिज्ञा प्राप्त हुई है।

4. इंजेति श्रीनिवास समिति

Why this committee

- देश में मौजूदा खेल संचालन रूपरेखा और खेल शासन से संबंधित मुद्दों के अध्ययन के लिए
- इन मुद्दों में हाल ही में खेल शासन से संबंधित विकास , न्यायालय के फैसले और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रणालियों के अलावा खेल प्रतिस्पर्धाओं में एक व्यापक राष्ट्रीय खेल विकास संहिता लाने पर सिफारिश करना शामिल है।

Committee Chairman:- श्री इंजेति श्रीनिवास, सचिव) खेल(

Members:- श्री अभिनव बिंद्रा,अंजू बाँबी जॉर्ज,प्रकाश पादुकोण, नरिंदर बत्रा, नंदन कामथ, विश्वेश्वर नंदी, विजय लोकपल्ली,संयुक्त सचिव) खेल (।

5. भारतसीईआरटी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए-सीईआरटी ने अमेरिका-

- भारत और अमेरिका ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीनस्थ इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-इन) और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिव्योरिटी के बीच एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर सुनिश्चित करवाए हैं।
- यह एमओयू साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किया गया है।
- उपर्युक्त एमओयू का उद्देश्य हर देश के प्रासंगिक कानूनों, नियमों एवं विनियमों के साथ-साथ इस एमओयू के अनुसार भी साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना है। इस कार्य को समानता, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभ के आधार पर मूर्त रूप दिया जाएगा।
- इससे पहले अमेरिका एवं भारत ने आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और साइबर सुरक्षा के लिए संबंधित देशों की सरकार के जवाबदेह संगठनों के बीच समय पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए 19 जुलाई, 2011 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे।

5. तंगलिया बुनकरों को सरकारी सहयोग

- भारत सरकार करघों की खरीद के लिए तंगलिया बुनकरों को सहायता प्रदान करेगी।
- इसके अंतर्गत करघों की कुल कीमत की 90 प्रतिशत राशि सरकार सहायता के रूप में देगी।।
- तंगलिया बुनकरों का एक विशेष संघ बनाया जाएगा, जो उनके हित के लिए काम करेगा।।
- फैशन डिजाइनरों से अपील की कि वे अपने वस्त्रों में तंगलिया कला का इस्तेमाल करें।

background :--

- तंगलिया गुजरात के 700 वर्ष पुराने मूल बुनकर हैं, जिनकी विशिष्ट तकनीक है, जिसमें वे कच्चे ऊन के रेशों का इस्तेमाल करते हैं।
- Tangaliya a dotted woven textile of Surendranagar district, Saurashtra is found only in Gujarat, is usually worn as a wraparound skirt by the women of the Bharwad shepherded community.
- Tangalia designs are used for preparing Shawl, Dupatta, Dress material and products of Home décor & accessories such as bedsheets, pillow covers etc.
- The patterns formed during weaving process to creat design in dots for floral and geometrical motifs by using cotton or woolen yarn.

6. 'भारत पर्व'

गणतंत्र दिवस 2017 के आयोजन के तहत भारत सरकार द्वारा दिल्ली के लालकिले पर 26 से 31 जनवरी , 2017 के दौरान भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। -

Objective:-

- इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य के विचार ' एक भारत श्रेष्ठ भारत ' को लोकप्रिय बनाने के तहत देशभक्ति की भावना को जागृत करना, देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना और आम जन की व्यापक भागीदारी को सुनिश्चित करना है

Organizer

पर्यटन मंत्रालय को इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है।

Participate :--

इस आयोजन में गणतंत्र दिवस परेड की झांकी , सशस्त्र बलों के बैंड द्वारा प्रस्तुति (स्थिर और चलित), फूड कोर्ट-, शिल्प मेला , देश के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक फोटो प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया जाएगा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में देशभर के लोकनृत्य आदिवासी नृत्य और संगीत को शामिल किया गया है। इनमें उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक क्षेत्र के/केन्द्र शासित प्रदेशों के सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रस्तु/साथ विभिन्न राज्यों-साथतियां दी जाएगी। फूड कोर्ट-केन्द्र शासित प्रदेशों/में राज्यों, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वैंडर्स ऑफ इंडिया (एनएएसवीआई) के 50 स्टॉल लगाये जाएगे, जिनमें विभिन्न राज्यों के व्यंजन के साथ साथ होटल प्रबंधन संस्थान और-आईटीडीसी के व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा सकेगा। शिल्प मेले में 50 से ज्यादा स्टॉल लगाये जाएगे, जो देश की हस्तशिल्प विविधता को प्रदर्शित करेगे। इसका प्रबंधन राज्य सरकारों तथा वस्त्र मंत्रालय के

द्वारा हस्तशिल्प विकास आयुक्त के कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी मेरा देश बदल रहा है', आगे बढ़ रहा है पर एक फोटो प्रदर्शनी को ' प्रदर्शित करेगा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण गणतंत्र दिवस परेड़ की वह झांकी होगी, जिसे समारोह स्थल पर प्रदर्शित किया गया होगा। इस कार्यक्रम में आम जनता को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, हालांकि प्रवेश के लिए पहचान पत्र साथ में होना जरूरी है।

7. देश में ग्रामीण आवास को बढ़ावा देने के लिये क्रांतिकारी नई योजना को मंजूरी दी

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना का अनुमोदन कर दिया है।
- इस योजना के तहत सरकार ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। ब्याज सब्सिडी ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिये उपलब्ध होगी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के दायरे में नहीं है।
- इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नये मकान बना सकेंगे या अपने मौजूदा पक्के मकानों का विस्तार कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले लाभार्थियों को दो लाख रूपये तक की ऋण राशि पर ब्याज-सब्सिडी दी जाएगी।
- इस योजना से बड़ी संख्या में ग्रामीणजनों को लाभ होगा तथा दीर्घकालिक 24 वर्षों के लिए ऋण प्राप्त होगा।
- राष्ट्रीय आवास बैंक इस योजना को कार्यान्वित करेगी। सरकार, राष्ट्रीय आवास बैंक को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का वर्तमान मूल्य सीधे प्रदान करेगी और इसके बदले, यह बैंक ब्याज सब्सिडी की राशि प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों इत्यादि) को अंतरित करेगी। इसके परिणामस्वरूप, लाभार्थी के लिये मासिक किश्त कम हो जाएगी।
- योजना के अंतर्गत सरकार वर्तमान व्यवस्थाओं के माध्यम से लाभार्थियों को तकनीकी सहायता सहित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणके साथ उचित समन्वय के आवश्यक उपाय भी करेगी। इस नई योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों में सुधार के साथ, ग्रामीण आवास क्षेत्रमें रोजगार सृजन भी होगा।

8. थिएटर लेवल अभ्यास ट्रोपेक्स-17

- भारतीय नौसेना का वार्षिक थिएटर रेडीनेस आप्रेशनल एक्सरसाइज (ट्रोपेक्स)
- इस अभ्यास में पश्चिमी और पूर्वी नौसेना कमानों के पोत और वायुयान भाग लेंगे इसके अलावा वायु सेना, थल सेना और भारतीय तटरक्षक की परिसंपत्तियां भी मिलकर अभ्यास में भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास पश्चिमी समुद्र तट बंद पर आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण जनवरी में आयोजित किया गया था। 2015
- ट्रोपेक्स 70 मौजूदा सुरक्षा हालातों के मद्देनजर विशेष महत्व रखती है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना, थल सेना और भारतीय सुरक्षा गार्ड के संयुक्त बेड़े की लड़ाई की तैयारियों का परीक्षण करना है।

9. आयकर विभाग आरंभ कर रहा है स्वच्छ धन अभियान

- इस अभियान के आरंभिक चरण में 9 नवम्बर से 30 दिसम्बर, 2016 तक प्रचुर मात्रा में जमा की गई नकदी की ईवेरिफिकेशन शामिल है।-
- विमद्रीकरण आंकड़ों की आयकर विभाग के डाटाबेस में उपलब्ध सूचना के साथ तुलना करने के लिए डाटा एनेलिटिक्स का प्रयोग किया गया है पहले बैच में ऐसे **लगभग 18**

लाख व्यक्तियों की पहचान की गई है जिनके मामले में नकदी का लेन देन करदाता-के प्रोफाइल से मेल नहीं खा रहा है।

- जोखिम मानदण्ड पर आधारित मामलों को जांच के लिए चुनने हेतु डाटा एनेलेटिक्स का प्रयोग किया जाएगा। यदि मामले को जांच के लिए चुन लिया जाता है तो अतिरिक्त सूचना और उसकी प्रतिक्रिया के लिए अनुरोध भी इलैक्ट्रॉनिक रूप से संसूचित किया जाएगा। नवीन सूचना, प्रतिक्रिया और डाटा एनेलेटिक्स के प्राप्त होने पर ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना अद्यतित होकर सक्रिय हो जाएगी।
- उपलब्ध सूचना के आधार पर करदाता की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि नकद के स्रोत का स्पष्टीकरण उचित पाया जाएगा तो आयकर कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी और जांच को बंद कर दिया जाएगा। यदि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत नकद जमा की घोषणा की जाती है तब भी जांच को बंद कर दिया जाएगा।



GENERAL STUDIES HINDI